सत्यमेव जयते

न्यायिक किरण

Central Administrative Tribunal
सत्यमेव जयते

सातवां अंक ◆ सितम्बर 2024

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण

प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली

8 दिसंबर, 2023 को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड़ के कर कमलों द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुंबई न्यायपीठ के नए कार्यालय भवन का उदघाटन।

माननीय श्री तरुण श्रीधर, पूर्व सदस्य (प्रशासनिक), केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ की सेवानिवृति पर भावभीनी विदाई।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण,

प्रधान न्यायपीठ,

61/35, कॉपरनिकस मार्ग

नई दिल्ली- 110001

न्यायिक किरण

(राजभाषा पत्रिका)

सातवां अंक सितम्बर 2024

स्वतंत्रता दिवस समारोह – 2024

अध्यक्ष एवं संरक्षक

माननीय न्यायमूर्ति श्री रणजित वसंतराव मोरे

✹✹✹✹✹

प्रधान संपादक

श्रीमती प्रीति सिंह, प्रधान रजिस्ट्रार/कार्यालय अध्यक्ष

✹✹✹✹✹

संपादक मंडल

श्री सुलभ रस्तोगी, रजिस्ट्रार

श्री सूरत सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार

श्री राजीव किशोर तिवारी, सहायक निदेशक (रा.भा.)

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित रचनाकारों के निजी विचार हैं। संपादक मंडल उसके लिए उत्तरदायी नहीं है।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	शीर्षक	लेखक	पृष्ठ संख्या

सत्यमेव जयते

सन्देश

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली की वार्षिक राजभाषा पत्रिका **'न्यायिक किरण'** का प्रकाशन किया जाना, एक सराहनीय प्रयास है और हर्ष का विषय है। पत्रिका के प्रकाशन से, हमारे संस्थान में, राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में अनुकूल वातावरण का निर्माण होता है। पत्रिका में प्रकाशित होने वाली सभी रचनाओं के रचनाकारों को हार्दिक बधाई।

हिन्दी, हमारे देश में बोली एवं समझी जाने वाली सबसे लोकप्रिय भाषा है जो एक संपर्क भाषा का भी कार्य करती है। भारत की सांस्कृतिक एकता और संस्कारों की संवाहक हिन्दी, हमारी राजभाषा है जिसका अधिकाधिक प्रयोग हमारा नैतिक दायित्व है।

राजभाषा के रूप में, सरकारी कामकाज में हिन्दी को प्रोत्साहित करना और उसका सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है।

इस अवसर पर पत्रिका के प्रकाशन में सहयोग के लिए, मैं संपादक मण्डल एवं सभी रचनाकारों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगामी वर्षों में भी पत्रिका का प्रकाशन होता रहेगा।

रणजित मोरे.

न्यायमूर्ति रणजित वसंतराव मोरे
अध्यक्ष एवं संरक्षक
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
61/35, कॉपरनिकस मार्ग
नई दिल्ली–110001

प्रधान संपादक की कलम से

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की राजभाषा पत्रिका **'न्यायिक किरण'** का सातवां अंक (वर्ष 2024) प्रकाशित कर, पाठकों के समक्ष समर्पित कर हम अत्यंत हर्षित हैं।

राजभाषा अनुभाग के सार्थक प्रयासों से, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन द्वारा, हमारी सभी न्यायपीठों के कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को दिशा प्रदान की गई है। हमारी गुवाहाटी, पटना एवं इलाहाबाद न्यायपीठ के कई कर्मियों ने हिन्दी शिक्षण योजना की प्राज्ञ, प्रवीण एवं पारंगत परीक्षाएं उच्च अंकों से उत्तीर्ण कर संस्थान का गौरव बढ़ाया है।

सूचना तकनीकी का प्रयोग कर कार्यालयीन कार्यों में हम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राजभाषा हिन्दी में कार्य करना संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन है। **''लीला हिन्दी ऐप''** के माध्यम से तमिल, तेलगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, असमिया, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, नेपाली, कश्मीरी, गुजराती, बोडो एवं अंग्रेजी से स्वयं हिन्दी सीखने की सुविधा उपलब्ध है। हिन्दी में सरलता से टिप्पणी लिखने हेतु **''ई–महाशब्दकोश मोबाइल ऐप''** तथा **''ई–सरल हिन्दी वाक्यकोश मोबाइल ऐप''** का उपयोग कर सकते हैं। तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली आयोग द्वारा तकनीकी शब्दों का हिन्दी रूपान्तरण तैयार करने से हिन्दी में कार्य करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ दूर हो रही हैं।

पत्रिका के प्रकाशन हेतु समस्त रचनाकारों द्वारा अपनी मौलिक रचनाओं के माध्यम से सहज हिन्दी के प्रयोग के प्रोत्साहन हेतु उपयोगी योगदान दिया गया है। संपादकमण्डल, समस्त अधिकारीगण, राजभाषा अनुभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण का पत्रिका प्रकाशन में सहयोग उत्साहवर्धक रहा। आशा है यह अंक सभी पाठकों के लिए रुचिकर होगा एवं सरल हिन्दी के प्रयोग के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करेगा। पाठकों के अमूल्य सुझाव हमारा मार्गदर्शन करेंगे।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित..............

श्रीमती प्रीति सिंह

(उच्च न्यायिक सेवा)

प्रधान रजिस्ट्रार एवं कार्यालय अध्यक्ष

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली

संपादकीय

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली की वार्षिक पत्रिका **''न्यायिक किरण''** के **''सातवें अंक''** को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है।

14 सितम्बर, 1949 को भारत की राजभाषा के पद पर आसीन होने के उपरांत, सरकार के प्रयासों व जन–जन की सहभागिता से, हिंदी निरन्तर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। तकनीकी के प्रयोग से इसकी गति को और अधिक त्वरण मिल रहा है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी, हिंदी के प्रचार एवं प्रसार हेतु अनेक **'ऐप'** और **'साफ्टवेयर्स'** के सृजन से, हिंदी को विश्व पटल पर प्रतिस्थापित करने में बहुत सहायता मिल रही है। ए०आई० तकनीक के माध्यम से, अनुवाद कार्य में अभूतपूर्व सफलता मिली है जिसके परिणामस्वरूप, माननीय उच्चतम न्यायालय के 36 हजार से अधिक फैसलों का, हिंदी में अनुवाद किया जा चुका है।

राजभाषा संबंधी पत्रिका राजभाषा से संबंधित किसी लेख के बिना अपूर्ण होती है। प्रस्तुत पत्रिका में माननीय डा० सुमीत जैरथ, प्रशासनिक सदस्य एवं पूर्व सचिव, राजभाषा विभाग जी का लेख **''12 प्र की भूमिका''** अत्यंत सारगर्भित लेख, इस अंक को अविस्मरणीय अंक बनाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में यह अंक अत्यंत सराहनीय योगदान देगा।

''न्यायिक किरण'' के प्रकाशन में मार्गदर्शन एवं आशीष के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ तथा विशेष सहयोग हेतु सभी सम्माननीय वरिष्ठ अधिकारियों, रचनाकारों व अपने सहयोगियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके अमूल्य सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

शुभकामनाओं के साथ...............

(राजीव किशोर तिवारी)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

माननीय डॉ. सुमीत जैरथ
सदस्य (प्रशासनिक)
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ,
पूर्व सचिव
राजभाषा विभाग,गृह मंत्रालय, भारत सरकार

12 'प्र' से किया जा सकता है राजभाषा हिंदी का समुचित विकास

(माननीय सदस्य महोदय का यह लेख, राजभाषा विभाग की पत्रिका 'राजभाषा भारती' के 'राजभाषा हीरक जयंती' विशेषांक (1949–2024) में भी प्रकाशित किया गया है।

राजभाषा अर्थात राज–काज की भाषा, अर्थात सरकार द्वारा आम–जन के लिए किए जाने वाले कार्यों की भाषा। राजभाषा के प्रति लगाव और अनुराग राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है। संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। वर्ष 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और यह दायित्व सौंपा गया कि सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तब से लेकर आज तक देश भर में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों आदि में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन तथा सरकारी काम–काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग की अहम् भूमिका रही है। राजभाषा विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

हम सभी जानते हैं कि जब हमारे संविधान निर्माता संविधान को अंतिम स्वरूप दे रहे थे, इसका आकार बना रहे थे, उस वक्त कई सारी ऐसी चीजें थी जिसमें मत–मतांतर थे। देश की राजभाषा क्या हो?, इसके विषय में इतिहास गवाह है कि तीन दिन तक इस संदर्भ में बहस चलती रही और देश के कोने–कोने का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा में जब संविधान निर्माताओं ने समग्र स्थिति का आकलन किया, दूरदर्शिता के साथ अवलोकन, चिंतन कर एक निर्णय पर पहुंचे तो पूरी संविधान सभा ने सर्वानुमत से 14 सितंबर, 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया।

26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान रखा गया कि संघ की राजभाषा 'हिंदी' व लिपि 'देवनागरी' होगी।

अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द–भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से, और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित की जानी है।

महान लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां 'आप जिस प्रकार बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए' को ध्यान में रखते हुए राजभाषा – हिंदी को और सरल, सहज और स्वाभाविक बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प है। केंद्र सरकार के

कार्यालयों / मंत्रालयों / उपक्रमों / बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी में काम करने को दिन–प्रति–दिन सुगम और सुबोध बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के "आत्मनिर्भर भारत" "स्थानीय के लिए मुखर हों (Self Reliant India - Be vocal for local) के अभियान को आगे बढ़ाते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत में सी–डेक, पुणे के सौजन्य से निर्मित स्मृति आधारित अनुवाद टूल "कंठस्थ" का विस्तार कर रहा है, जिससे अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत करने के साथ–साथ एकरूपता और उत्कृष्टता भी सुनिश्चित हो।

राजकीय प्रयोजनों में राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार को बढ़ाने तथा विकास की गति को तीव्र करने संबंधी संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने के संबंध में हमारी प्रभावी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका मूल सूत्र क्या होना चाहिए?, इस पर विचार करने के दौरान मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जाने वाले 'स्मृति–विज्ञान' (Mnemonics) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी नजर आती है। विदेश से भारत में निवेश बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के छः डी–

Democracy (लोकतंत्र)

Demand (मांग)

Demographic Dividend (जनसांख्यिकीय विभाजन)

Deregulation (अविनियमन)

Descent (उत्पत्ति)

Diversity (विविधता)

से प्रेरणा लेते हुए राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने "12 प्र की रणनीति–रूपरेखा (Frame work) की संरचना की है, जो निम्न प्रकार से है :रू

1. प्रेरणा (Inspiration and Motivation)

प्रेरणा (Inspiration) का सीधा तात्पर्य पेट की अग्नि (Fire in the belly) को प्रज्ज्वलित करने जैसा होता है। हम सभी यह जानते हैं कि प्रेरणा में बड़ी शक्ति होती है और यह प्रेरणा सबसे पहले किसी भी चुनौती को खुद पर लागू कर, दी जा सकती है। प्रेरणा कहीं से भी प्राप्त हो सकती है लेकिन यदि संस्थान का शीर्ष अधिकारी किसी कार्य को करता है तो निश्चित रूप से अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं ।

2. प्रोत्साहन (Encouragement)

मानव स्वभाव की यह विशेषता है कि उसे समय–समय पर प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में यह प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों को समय–समय पर प्रोत्साहित करते रहने से उनका मनोबल ऊंचा होता है और उनके काम करने की शक्ति में बढ़ोतरी होती है।

3. प्रेम (Love and Affection)

वैसे तो प्रेम जीवन का मूल आधार है किंतु कार्य क्षेत्र में अपने शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रेम प्राप्त करना कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करता है। राजभाषा नीति सदा से ही प्रेम की रही है यही कारण है कि आज पूरा विश्व हिंदी के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए आगे बढ़ रहा है।

4. प्राइज अर्थात पुरस्कार (Rewards)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार दिए जाते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/बैंकों उपक्रमों आदि को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए दिए जाते हैं और राजभाषा गौरव पुरस्कार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों बैंकों आदि के सेवारत तथा सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लेखन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार 14 सितंबर, हिंदी दिवस के दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि देश के कोने–कोने से इन पुरस्कारों के लिए प्रविष्टि आती है। जब मैंने राजभाषा विभाग का कार्यभार संभाला उस समय स्मृति आधारित अनुवाद टूल 'कंठस्थ' के अंदर डेटाबेस को मजबूत करने के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता एवं सचिव (रा.भा.) की ओर से प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय किया। इस कदम का यह परिणाम हुआ कि लगभग छः महीने के अंदर ही कंठस्थ का डाटा 20 गुना से ज्यादा बढ़ गया। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा एवं प्राइज यानि पुरस्कार का महती योगदान होता है।

5. प्रशिक्षण (Training)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य करता है। पूरे वर्ष अलग–अलग आयोजनों में सैकड़ों की संख्या में प्रशिक्षणार्थी इन संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण पाते हैं। कहते हैं – "आवश्यकता, आविष्कार और नवीकरण की जननी है।" कोरोना महामारी ने हम सभी के सामने अप्रत्याशित संकट और चुनौती खड़ी कर दी। समय–समय पर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित कर हम सभी को इस महामारी से लड़ने के लिए संबल प्रदान किया। इससे प्रेरित होकर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने आपदा को अवसर में परिवर्तित कर दिया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आश्रय लेते हुए – ई–प्रशिक्षण और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से हमारे दो प्रशिक्षण संस्थान – केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने पहली बार ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत–स्थानीय के लिए मुखर हों (Be Local for Vocal) अभियान के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्वदेशी NIC - Video Desk Top पर माइग्रेट किया जा रहा है।

6. प्रयोग (Usage)

'यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आप उसे भूल जाते हैं (If you do not use it, you lose it) हम जानते हैं कि यदि किसी भाषा का प्रयोग कम किया जाए या न के बराबर किया जाए तो वह धीरे–धीरे मन मस्तिष्क के पटल से लुप्त होने लगती है इसलिए यह आवश्यक होता है कि भाषा के शब्दों का व्यापक प्रयोग समय समय पर करते रहना चाहिए। हिंदी का प्रयोग अपने अधिक से अधिक काम में मूल रूप से

करें ताकि अनुवाद की बैसाखी से बचा जा सके और हिंदी के शब्द भी प्रचलन में रहें।

7. प्रचार (Advocacy)

संविधान ने हमें राजभाषा के प्रचार का एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है जिसके अंतर्गत हमें हिंदी में कार्य करके उसका अधिक से अधिक प्रचार सुनिश्चित करना है। हिंदी के प्रचार में हमारे शीर्ष नेतृत्व – माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय गृह मंत्री जी राजभाषा हिंदी के मेसकोट– ब्रैंड राजदूत (Brand Ambassadors) के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश–विदेश के मंचों पर हिंदी के प्रयोग से राजभाषा हिंदी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में एक संपर्क भाषा की आवश्यकता महसूस की गई। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का पक्ष इसलिए प्रबल था क्योंकि इसका अंतरप्रांतीय प्रचार शताब्दियों पहले ही हो गया था। उसके इस प्रचार में किसी राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित तीर्थ स्थानों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का योगदान था। उनके द्वारा भिन्न–भिन्न भाषा–भाषियों के साथ संपर्क करने का एक प्रमुख माध्यम भाषा हिंदी थी जिससे स्वतः ही हिंदी का प्रचार होता था। आधुनिक युग में प्रचार का तरीका भी बदला है। तकनीक के इस युग में संचार माध्यमों को बड़ा योगदान है इसलिए राजभाषा हिंदी के प्रचार में भी इन माध्यमों का अधिकतम उपयोग समय की मांग है।

8. प्रसार (Transmission)

राजभाषा हिंदी के काम का प्रसार करना सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों आदि की प्राथमिक जिम्मेदारी में है और यह संस्था प्रमुख का दायित्व है कि वह संविधान के द्वारा दिए गए दायित्वों जिसमें कि प्रचार–प्रसार भी शामिल है, का अधिक से अधिक निर्वहन करे। राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और कार्यालय स्तर पर हिंदी में लेखन को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने में हिंदी गृह–पत्रिकाओं का विशेष महत्व है, इसलिए राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न केंद्रीय संस्थानों द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। राजभाषा विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट rajbhasha.gov.in पर बनाए गए ई–पत्रिका पुस्तकालय के माध्यम से हिंदी के पाठक विभिन्न सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित होने वाली ई–पत्रिकाओं से लाभान्वित हो सकेंगे। राजभाषा हिंदी के प्रसार में दूरदर्शन, आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ–साथ बॉलीवुड ने हिंदी के प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया है।

9. प्रबंधन (Administration and Management)

यह सर्वविदित है कि किसी भी संस्थान को उसका कुशल प्रबंधन नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, इसे ध्यान में रखते हुए संस्था प्रमुखों को राजभाषा के क्रियान्वयन संबंधी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम 1963, नियमों तथा समय–समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराएं, इन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच–बिंदु बनवाएं और उपाय करें।

10. प्रमोशन (पदोन्नति) (Promotion)

राजभाषा हिंदी में तभी अधिक ऊर्जा का संचार होगा, जब राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी; केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सदस्यगण, सभी उत्साहवर्धक और ऊर्जावान हों और अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाएं। समय–समय पर प्रमोशन (पदोन्नति) मिलने पर निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा और इच्छाशक्ति सुदृढ़ होगी।

11. प्रतिबद्धता (Commitment)

राजभाषा हिंदी को और बल देने के लिए मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंक के शीर्ष नेतृत्व (माननीय मंत्री महोदय, सचिव, संयुक्त सचिव (राजभाषा), अध्यक्ष और महाप्रबंधक) की प्रतिबद्धता परम आवश्यक है। माननीय संसदीय राजभाषा समिति के सुझाव अनुसार और राजभाषा विभाग के अनुभव से यह पाया गया है कि जब शीर्ष नेतृत्व हिंदी के प्रगामी/उत्तरोत्तर ही नहीं, अपितु अधिकतम प्रयोग के लिए स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हैं तब उनके उदाहरणमय नेतृत्व (Exemplery Leadership) से पूरे मंत्रालय/विभाग/उपक्रम/बैंक को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। जब वे हिंदी के लिए एक अनुकूल और उत्साहवर्धक वातावरण बनाते हैं और बीच–बीच में हिंदी के कार्यान्वयन की निगरानी (Monitoring) करते हैं तब हिंदी की विकास यात्रा और तीव्र होती है जैसे कि गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में देखा गया है। अभी हाल में ही राजभाषा विभाग ने सबको पत्र लिखकर आग्रह किया है :

(1) हर माह में एक बार सचिव/अध्यक्ष अपनी अध्यक्षता में जब वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक करते हैं तब इसमें हिंदी में काम–काज की प्रगति और राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन का मद भी अवश्य रखें और चर्चा करें।

(2) अपने मंत्रालय/विभाग/संस्थान में अपने संयुक्त सचिव (प्रशासन)/प्रशासनिक प्रमुख को ही हिंदी कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व दें और हर तिमाही में उनकी अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की बैठक करें।

12. प्रयास (Efforts)

राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में यह अंतिम 'प्र' सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार हमें लगातार यह प्रयास करते रहना है कि राजभाषा हिंदी का संवर्धन कैसे किया जाए। यहां कवि सोहन लाल द्विवेदी जी की पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं कि

लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

नन्हीं चींटी जब दाना लेकर चलती है
चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है
आख़िर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती

कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है
जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है
मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में
बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो
जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम
संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम
कुछ किये बिना ही जय जयकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करते हुए राजभाषा हिंदी को और अधिक सरल बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासरत है। विभाग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology) का भी आश्रय ले रहा है। विभाग का मानना है कि राजकीय प्रयोजनों में हिंदी की गति को तीव्र करने के लिए ये दोनों आवश्यक परिस्थितियां (Necessary Conditions) हैं। इस दिशा में और गति देने के लिए शीर्ष नेतृत्व की प्रतिबद्धता और प्रयास, पर्याप्त परिस्थितियां (Sufficient Conditions) हैं।

संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन तत्परता और पूरी निष्ठा के साथ करें। हम स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हुए अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि प्रशासन में पारदर्शिता आए और आमजन सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ निर्बाध रूप से उठा सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन बारह 'प्र' को ध्यान में रखकर राजभाषा हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन करने की दिशा में सफलता प्राप्त होगी और हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत; 'सुदृढ़ आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने में सफल होंगे।

राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की एकता एवं उन्नति के लिए आवश्यक है।

– महात्मा गांधी

••••••••••••••••••••••••••••

श्रीमती प्रीति सिंह
(उच्च न्यायिक सेवा)
प्रधान रजिस्ट्रार
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ

प्रगति पथ – निरंतर...

माननीय अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कुशल नेतृत्व के अधीन अधिकरण की समस्त उन्नीस न्यायपीठों में, न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 4(1) के तहत केंद्रीय सरकार की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना दिनांक 01.11.1985 को की गई थी। अधिनियम 1985 की धारा 5(7) में उपबंधित है कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की नई दिल्ली स्थित न्यायपीठ का नाम प्रधान न्यायपीठ होगा तथा इलाहाबाद, कलकत्ता, मद्रास एवं नई मुंबई एवं केंद्रीय सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट अन्य स्थानों पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के न्यायपीठ अधिविष्ट होंगे। तदनुसार वर्तमान में उन्नीस न्यायपीठ कार्यरत हैं।

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम की धारा 4 (5) (ख) के अनुसार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के न्यायपीठ या न्यायपीठें, सभी बातों में संविधान के अनुच्छेद 323–क और प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित समझे जायेंगे। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम 1987 के नियम 13 के अनुसार माननीय अध्यक्ष द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट अनुसार रीति से; अधिकरण, पक्षकारों को आवेदन की सुनवाई की तिथि एवं स्थान अधिसूचित करेगा। नियम 26 के अनुसार – न्यायाधिकरण के कार्यालय का समय माननीय अध्यक्ष के आदेश के अधीन प्रातः 9.30 बजे से सायं 6 बजे तक रहेगा। शनिवार, रविवार एवं अन्य सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर कार्यदिवसों में उक्त समय रहेगा। नियम–27 के अनुसार माननीय अध्यक्ष के आदेश के अधीन या अध्यक्ष के अनुमोदन से न्यायाधिकरण (अवकाश पीठ सहित) के बैठने का समय सामान्यतः प्रातः 10.30 बजे से अपराह्न 01.30 बजे तक तथा अपराह्न 02.30 बजे से सायं 05 बजे तक रहेगा।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (व्यवहार) नियम 1993 के नियम 48 के अनुसार – अधिकरण की अवकाश अवधि के दौरान अवकाश पीठ का गठन एवं बैठक, माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रधान न्यायपीठ में एवं अन्य न्यायपीठों के वरिष्ठतम सदस्य द्वारा निर्दिष्ट अनुसार किया जायेगा। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अनुसार केंद्रीय सरकार समय–समय पर अधिसूचना द्वारा अधिकरण के कारबार (कार्य) के बारे में उपबंधित कर न्यायपीठ द्वारा निपटाए जाने वाले मामले विनिर्दिष्ट कर सकेगी। यदि प्रश्न उठता है कि कोई विषय अर्थात् धारा 19 प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत आवेदन किसी न्यायपीठ को आवंटित कारबार (कार्य) के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है या नहीं, तो उस पर

माननीय अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

वर्तमान में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की उन्नीस न्यायपीठ एवं बीस खंडपीठ कार्यरत हैं। 19 न्यायपीठ इस प्रकार हैंः– प्रधानपीठ नई दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, श्रीनगर। बीस खंडपीठ / सर्किट बेंच इस प्रकार हैं – अगरतला, आइजोल, औरंगाबाद, बिलासपुर, गैंगटॉक, गोवा, ग्वालियर, इम्फाल, इंदौर, ईटानगर, लेह (लद्दाख), कोहिमा, लक्षद्वीप, नागपुर, नैनीताल, पोर्टब्लेयर, पुडुचेरी, राँची, शिलांग और शिमला।

मुंबई न्यायपीठ के नए कार्यालय का उद्घाटन 8 दिसंबर, 2023 को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड़ के कर कमलों द्वारा माननीय अध्यक्ष जस्टिस रंजीत वसंतराव मोरे के कुशल नेतृत्व में आयोजित भव्य समारोह में किया गया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशगण (पूर्व / वर्तमान), अधिकरणों के माननीय सदस्यगण, न्यायविद, वरिष्ठ एवं अन्य आधिवक्तागण, विधि छात्रों एवं अन्य गणमान्य नागरिकों ने भारी संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को गौरव प्रदान किया।

दिनांक 14 दिसंबर, 2023 को चेन्नई न्यायपीठ की पुडुचेरी खंडपीठ / सर्किट बेंच का पुनः शुभारंभ किया गया। उक्त खंडपीठ की बैठक समय अंतराल में आयोजित होती है।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की बीसवीं खंडपीठ / सर्किट बेंच के रूप में इस वर्ष 19 जून, 2024 को जम्मू न्यायपीठ की खंडपीठ / सर्किट बेंच का, लेह (लद्दाख), केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन कर, शुभारंभ किया गया है, जिसकी समय अंतराल में बैठक आयोजित की जाती है।

केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के न्यायपीठों में न्यायिक एवं प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति एवं पदस्थापना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश दिनांक 05.08.2024 के द्वारा की जा चुकी है। अधिकरण में, वर्ष 2024 में अधिकारीगण / कर्मचारीगण की पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया, अधिकांशतः पूर्ण की जा चुकी है एवं कुछ पदों के लिए प्रक्रिया जारी है।

दिनांक 18, 19 मार्च 2024 को, देश की समस्त 19 न्यायपीठों से पधारे, चयनित अधिकारीगण / कर्मचारीगण का प्रशिक्षण भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। इसके पूर्व दिनांक 15 मार्च, 2024 को, प्रधान न्यायपीठ के चयनित आधिकारीगण / कर्मचारीगण का दो सत्रों में सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अधिकारीगण / कर्मचारीगण को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान किए गए।

गत वर्ष सितंबर, 2023 में हिन्दी पखवाड़ा, विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित कर, 'न्यायिक किरण' पत्रिका के छटवें अंक के विमोचन सहित, उत्साह एवं उल्लासपूर्वक सभी की सहभागिता के साथ संपन्न हुआ। इसके साथ ही अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन पुणे में 14–15 सितम्बर 2023 में अधिकरण की विभिन्न न्यायपीठों के अधिकारीगण एवं राजभाषा अनुभाग के अधिकारी / कर्मचारीगण ने उपस्थिति दर्ज

कराकर राजभाषा के प्रचार प्रसार एवं प्रगामी प्रयोग के संबंध में केंद्र सरकार के अद्यतन शब्दकोश, शब्दावली, सूचना, प्रौद्योगिकी संसाधनों की जानकारी प्राप्त कर उनके निरंतर उपयोग में रुचि प्रदर्शित की।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की लखनऊ एव गुवाहाटी न्यायपीठों के स्वयं के स्वामित्व के भवनों का निर्माण अंतिम चरणों में है। इनके शीघ्र पूर्ण होने एवं उक्त न्यायपीठों के अपने नवनिर्मित सर्वसुविधायुक्त भवन में प्रवेश करने की आशा है।

गत वर्षों की भांति इस वर्ष माह जून, 2024 में, प्रधान न्यायपीठ की अवकाश अवधि के दौरान, नियोजित तरीके से, अभिलेखागार में निराकृत अभिलेखों का नियमानुसार विनष्टीकरण किया गया जो निरंतर जारी है। इसके पूर्व, समस्त अभिलेखों को, पूर्व में किराए पर प्राप्त स्थान से, शासन द्वारा प्रदत्त भवन–भाग में पुनर्स्थापित किया गया। इस जटिल प्रक्रिया में, अभिलेखागार से संबंद्ध कर्मचारीगण का उत्कृष्ट योगदान रहा।.

स्वच्छता अभियान के तहत अक्टूबर, 2023 में नीलामी योग्य सामान, उपकरण, वस्तुओं की एम.एस. टी.सी. लिमिटेड के माध्यम से नियमानुसार नीलामी कराई गई और प्राप्त राशि रूपए 2,21,371/–, राजकीय कोष में जमा कराई गई।

सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की अद्यतन व्यवस्था के तहत, मई–जून, 2024 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के 'मोबाइल ऐप' एवं 'डिस्प्ले बोर्ड' एवं 'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग' से प्रकरणों की सुनवाई हेतु, स्वसंसाधनों से उपार्जित अद्यतन उपकरणों को स्थापित कराकर उनका सफल संचालन प्रारंभ किया गया। वर्तमान में उक्त व्यवस्था कार्यशील है।

इसके अलावा, चाहे सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करना हो अथवा गहन आवश्यक चिकित्सा उपचारार्थ आवश्यक चिकित्सा व्यय का लाभ दिया जाना हो, सभी लाभ नियमानुसार समय पर दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाता है।

अंत में यह कहना समीचीन है कि सूचना प्रौद्योगिकी के समुचित उपयोग एवं प्रयोग के द्वारा अधिकरण की न्यायपीठों में कार्य, निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। हम सभी, एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सकारात्मक सोच के साथ कदम–ताल मिलाकर कार्य कर रहे हैं। समस्त न्यायपीठों के समस्त अनुभागों के अधिकारी/कर्मचारीगण अपना शत–प्रतिशत योगदान देकर समयबद्ध लक्ष्यों को पूरा करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

माननीय अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कुशल नेतृत्व में तथा माननीय अध्यक्ष महोदय की प्रेरणा और मार्गदर्शन द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है।.

अस्तु प्रगति पथ – निरंतर.............।

••••••••••••••••••••••••••••

सुलभ रस्तोगी
रजिस्ट्रार
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ

शुष्क बादल

देखकर क्षितिज पर बादलों का वह झुरमुट
चिर प्यासी धरा में आशाएं हो गयी पल्लवित।
कभी तो हवा का रुख होगा उस ओर उन्मुख
बरसेंगे बादल और दूर होंगे उसके सब दुःख।।

बादल तो हैं अपने अम्बरीय सिंहासन में मस्त
उन्हें नहीं ज्ञात यह धरा है कितनी त्रस्त।
बरस रहे हैं वहाँ जो धन–धान से है परिपूर्ण
और कहीं तो मूल आवश्यकताएं भी हैं अपूर्ण।।

कर रही अर्चना उससे जो स्वगर्भ से हो जनित
सत्तामद में लगती उसे वह ही सबसे घृणित।
बहुत आशाएं थी करेगा दूर यह उसके दुर्दिन
वह भी लहलहायेगी पूर्ण होंगे उसके भी स्वपन।।

करती है जब शिकवा कब बहुरेंगे उसके दिन
काफी समय हो गया बैठे उन्हें उस सिंहासन।
बतौर साहिबे मसनद गिलें तो हैं औचित्यहीन
परेशानियां तो तब भी थीं जब वह न थे सत्तासीन।।

समय की पाजेब पर ही थिरकता है आशावाद
अपूर्ण रहने पर बन जाता है यह अवसाद।
बादल जो नहीं बरसते आत्मश्लाघा में रहते तल्लीन
इंतिखाबादी हवाएं क्षितिज में ही कर देती हैं उन्हें विलीन।।

डर जनित आस्था

यह कैसी है मान्यता
खंडित होती सभ्यता
आस्था की दुकानों पर
बिकता है बस डर।
वैतरणी को कराना पार
इस डर का करते व्यापार।
भ्रम की करते हैं जागृति
दूर कर देंगे सब विपत्ति।
पूजा में यही होती अभिलाष
सर्व सुख हो हमारे पास।
कष्ट दूर कर दे अपना
ऐसी होती है अर्चना।
यह भक्ति नहीं, है आसक्ति
न होती प्राप्त इससे शांति।
जुगत पर जुगत को बिठा
स्वार्थपूर्ति की है यह चेष्टा।
निंदनीय है यह व्यवस्था
जो डर से जनित करे आस्था।

हिन्दी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत हैं।
— सुमित्रानंदन पंत

••••••••••••••••••••••••••••

विकास

थक गया हूँ मैं तुम्हारी बाट जोहते–जोहते
आना होता तो अब तक आ ही गए होते।
हमारा दयनीय हाल तुमसे नहीं है छुपा
तुम्हारे आगमन से ही दूर होगी यह नीरवता।।

समय के निर्गमन से मन की बढ़ रही है अधीरता
निरंतर क्षितिज पर केन्द्रित आंखे गयी हैं पथरा।
कहीं दूर, धूल का बादल उमड़ता सा होता है प्रतीत
श्वेत अश्वों के रथ पर सवार, आ तो नहीं रहा हमारा मीत।।

उसके आने से फैल जाएगी चहुंओर बहार
उल्लसित होंगे सब जैसे मरुस्थल पर पड़ी हो पहली फुहार।
उसके अब तक न आने का नहीं बनता है कोई प्रयोजन
वह सारथी तो चुटकियों में तय कर सकता है कई योजन।।

किंवदंती है विलक्षण क्षमताओं को कर रखा उसने अंगीकार
इसलिए सौंपा था उसे निष्पादित करने की यह महत्वपूर्ण काज।
समझ नहीं आ रहा था कि हम थे भ्रमित या ये सारथी कर रहा है हमे भ्रमित
कहीं किसी रत्नजड़ित स्वर्णद्वार पर तो नहीं छोड़ आया है हमारा मीत।।

हम ही दोषी हैं जो हो जाते हैं हवाओं के रुख से प्रेरित
बिना सोचे कि ये हवाएं सुनियोजित ढंग से की जाती है संचालित।
इस सारथी का आचरण और सारथियों के समान ही है अनुचित
छोड़ेगा विकास को वहीं जो उसके महत्वाकांक्षी हितों को करेंगे पोषित।।

हिन्दी द्वारे सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।
– स्वामी दयानन्द

••••••••••••••••••••••••••••

ओम शंकर पांडेय
रजिस्ट्रार
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण., बैंगलोर न्यायपीठ

अंगदान है जीवनदान

जो माटी से मिला हमें है, हम उस पर क्यों अभिमान करें?
जो दिया हमें था इस धरती ने, इस जग को क्यों ना जाते–जाते उसका दान करें?

बचपन से लेकर अब तक, धरती के दान से इस शरीर का विकास हुआ,
अब जब जाने का समय आया तो, किसी और को देने का सोच कर मन क्यों ये उदास हुआ?

आखिर में ये तन मिट्टी में मिलकर यहीं पर रह जाना है,
इस धरती का है ऋण अपार, अब ये ऋण चुकाना है।

जाते जाते इस ऋण का थोड़ा सा भुगतान करो।
माँ धरती को क्या देंगे हम, चलो अंग का दान करो।
हम प्रण लेते हैं हम इस ऋण का भाग चुकाएंगे,
आने वाली पीढ़ी का भविष्य करेंगे सुरक्षित जब हम सब अंगदान का प्रण उठाएंगे।

हम धरती की आँखें हैं, हम हैं जैसे धरती पे फूल खिले,
माँ होगी खुश जब सबको जीवन का कोमल वरदान मिले।

मिलता नहीं है मोक्ष मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में,
मोक्ष का मतलब है, ऋणमुक्त इस धरती से जाने में।
अंगदान है महादान, दया का ये रूप,
मृत्यु के बाद भी खिलाता है जीवन की धूप।

लेते हैं प्रण की हर जरूरतमंद को अंगदान मिले
नेत्रहीन को आंख मिले, और सबके जीवन को अभिमान मिले।

•••••••••••••••••••••••••••

निरर्थक अर्थ

मोल नहीं किसी का तो वो है शून्य,
या फिर जिसका मूल्य हो शून्य, उसका कोई मोल नहीं होता?

जीवन को उद्देश्य है अनमोल,
या ये जीवन खुद ही है अनमोल?

देश बड़ा इस धरती से,
या इस धरती से है देश बना।

खुद का विकास ही समाज का विकास करेगा,
या विकसित समाज में मेरा विकास होगा?

राम अगर है कण–कण में,
तो मंदिर मस्जिद गिरजाघर का काम यहाँ पर क्या है?

सबको जीने की चाह यहाँ, फिर मोक्ष भला ही क्या है?
मिट्टी से बना शरीर ये मेरा, पर हीरे का मोल बड़ा है।

जीवन रूपी अमृत, ये वृक्ष हमें देते हैं,
पर वृक्ष काट कर जाने क्यों हम महल बना लेते हैं ?
सत्य बड़ा ही सरल है, पर हम उसे भुला देते हैं
जो है मूल्यवान वो है जीवन, जो है अनमोल वो है प्रेम,
हम न जाने क्यों अहम् क्रोध में ये दोनों गवा देते हैं ?

इन्हीं अर्थ–निरर्थक प्रश्नों की खोज में भटकते हुए,
हम खुद को पाते हैं, और अमूल्य इस जीवन का मूल्य समझ पाते हैं।

भारतीय भाषाएं नदियां हैं एवं हिन्दी महानदी।
– रवीन्द्रनाथ टैगोर

राजीव किशोर तिवारी,
सहायक निदेशक(राजभाषा)
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण,प्रधान न्यायपीठ

भारतीय संस्कृति और विज्ञान

भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से हिंदू संस्कृति में बहुत सी ऐसी परम्पराएँ हैं जो समाज में काफी प्रचलित हैं और जनसामान्य, उनको लम्बे समय से मानता आ रहा है। हमारे त्योहार और उनके दैरान विभिन्न क्रिया–कलाप हमारी परम्पराओं के अंग हैं। आज का युवा वर्ग, हर परम्परा को, तर्क की कसौटी पर, कस कर देखना चाहता है अन्यथा वह उनको मानना नहीं चाहता अथवा उस परम्परा को अनैच्छिक रूप से मनाता है क्यों कि इसके पीछे छिपे विज्ञान या वैज्ञानिक संकेत के बारे में उसको जानकारी नहीं है।

वास्तविकता यह है कि हमारी अधिकांश परम्परायें विज्ञान–सम्मत हैं अथवा स्वास्थ्य विज्ञान या सामाजिक विज्ञान के आधार पर कोई संदेश या संकेत देती हैं। चूंकि पुराने समय में, हमारे ऋषि–मुनि, कुछ विद्वान पंडितजन अथवा जिन्होंने इन परम्पराओं को, समाज में आरम्भ किया, वे बहुत ज्ञानी थे परंतु चूंकि जनसामान्य विज्ञान को समझ नहीं पाता था तो वे उस क्रिया–कलाप या अनुष्ठान को धर्म के साथ जोड़ देते थे, और समाज धर्म भीरु होता है, अतः धर्म से जुड़ी बात या निर्देश को आसानी से मान लेता था। इस प्रकार, वह कार्य/क्रिया–कलाप अथवा निर्देशित आदत पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुये परम्परा का रूप धारण कर लेती थी।

कुछ परम्पराएं, समय परिवर्तन के साथ अब असंगत और न मानने योग्य भी हो गयी हैं परन्तु कुछ व्यक्ति उनको मानते आ रहे हैं परंतु प्रत्येक परम्परा के पीछे कुछ न कुछ विज्ञान/वैज्ञानिक संकेत है। हम, कुछ परम्पराओं के पीछे छिपे विज्ञान को देखने का प्रयास करते हैं।

'नदियों की पूजा व भेंट स्वरूप सिक्के चढ़ाना' – हम अपनी नदियों को पूजते हैं, उनके साथ माँ शब्द जोड़ते हैं यथा गंगा माँ, यमुना माँ, नर्मदा माँ आदि। माँ, एक सर्वप्रिय और सर्वग्राह्य और सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत पूज्यनीय शब्द या संज्ञा है जिसकी अवहेलना कोई नहीं करेगा। चूंकि पुराने समय में, नदियाँ ही जल का मुख्य स्रोत थीं और मनुष्य को, पीने, नहाने, सिंचाई करने व वस्त्र धोने के लिये, जल नदियों से ही मिलता था, इसलिये नदियों का संरक्षण नितांत आवश्यक था और आज भी है। नदी के साथ माँ शब्द जोड़ने से और उसको पूज्यनीय बनाने से, उसका संरक्षण, स्वमेव सुनिश्चित हो गया।

हम पूजनीय नदियों में पैसा / सिक्का डाल कर भेंट चढ़ाते हैं। पुराने समय में चाँदी और तांबे के सिक्के , चलन में थे जिनको नदी में डालने के पीछे विज्ञान यह था कि चाँदी हृदय को लाभ प्रदान करती है और ताँबा, जल को शुद्ध और निर्मल करता है व त्वचा रोगों से बचाता है। इस प्रकार, ये दोनों धातुयें, जल को और अधिक लाभकारी बनाती थीं।

वर्तमान समय में, लोहे, स्टील या टिन धातु के सिक्के नदी में डालना, अप्रासंगिक और अलाभकारी ही नहीं वरन् हानिकारक है, परंतु परम्परागत रूप से यह आज भी जारी है।

पीपल और बरगद की पूजा – पीपल एवं बरगद, दोनों ही दीर्घजीवी वृक्ष हैं जिनकी छाया भी बहुत विस्तृत होती है और उनका उपभोग भी बहुआयामी है। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो हमेशा ऑक्सीजन प्रदान करता है और इसलिये यह पर्यावरण के लिये सर्वथा उपयोगी है। बरगद एक ऐसा वृक्ष है जिसके फल, छाल, दूध, जड़ और पत्ते, सभी बहुत उपयोगी हैं और विभिन्न रोगों की दवाएं बनाने में प्रयोग होते हैं। किसी वैद्य ने कहा है कि बरगद के नीचे बैठ कर, एक वैद्य संसार के सभी रोगों का इलाज कर सकता है अर्थात बरगद का प्रत्येक अंग, एक दवा है, आवश्यकता है इसके उपयोग के ज्ञान की। बताया जाता है कि बरगद के पके हुये फलों को लोग सुखाकर रख लेते थे। जब कभी दुर्भिक्ष काल (सूखा) प़ड़ता था तो बरगद के सूखे फलों के आटे की रोटी खाते थे। एक रोटी, एक समय के भोजन के लिये पर्याप्त होती थी। इस रोटी से पूरी ऊर्जा भी मिल जाती थी और भूख भी नहीं लगती थी।

भारतीय संस्कृति में इन दोनों ही वृक्षों की पूजा की जाती है जिसके पीछे वैज्ञानिक कारण इनका संरक्षण है क्योंकि ये बहुउपयोगी व पर्यावरणीय दृष्टिकोंण से अत्यंत लाभकारी हैं।

होली का त्योहार, होलिका दहन एवं बासोड़ा – फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है जिसके दौरान अलग–अलग क्षेत्रों में अलग–अलग समयावधि में रंग, अबीर गुलाल से होली खेली जाती है। पूर्व में, रंग, टेसू के फूलों से व अन्य रंगीन फूलों से बनाये जाते थे। गुलाल में भी, फूलों व पत्तियों से निर्मित रंगों का प्रयोग होता था यथा गुलाब व गुड़हल से लाल गुलाल व पालक और बथुआ की पत्तियों से हरा गुलाल। ये वस्तुयें, त्वचा रोगों में लाभप्रद होती हैं। साथ ही, सर्दी से गर्मी की ऋतु में प्रवेश होने पर ठंडे जल के प्रयोग की आदत डलवाने व सर्दी की ऋतु के दौरान त्वचा पर आई खुश्की व अन्य त्वचा रोगों को ठीक करने का वैज्ञानिक रहस्य इसके पीछे छिपा हुआ है।

होलिका दहन के दौरान, इसकी आग में जौ की आहुति (आखत) डालने तथा गन्ने को गर्म करके उसका रस चूसने की परम्परा है। नया अनाज – जौ व गेंहूँ आने पर उसको अग्नि देव को समर्पित करना एक धार्मिक क्रिया है जबकि गन्ने को गर्म करके खाने के पीछे वैज्ञानिक संकेत यह है कि दीपावली के उपरांत देवउठान एकादशी से शुरू होने वाले गन्ने का उपभोग अब बंद कर देना चाहिये क्योंकि अब इसमें शर्करा की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है। होली की अग्नि में पानी गर्म करके नहाने के पीछे वैज्ञानिक

संकेत यही है कि अब गर्मी आ गई है अतः होली के बाद गर्म जल से स्नान बंद कर दिया जाये।

होली के बाद एक सप्ताह के अंदर अथवा सप्तमी/अष्टमी तिथि को, बासड़ा या बासोड़ा मनाने की परम्परा है जिसमें शीतला माता की पूजा की जाती है, उन पर पंखा डुलाया जाता है, नीम की डाली से जल छिड़का जाता है, बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और उस दिन बासी भोजन ही खाया जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक संकेत और संदेश है कि शीतला माता अर्थात प्राकृतिक रूप से शीतल वस्तुओं का प्रयोग आरम्भ किया जाये। यह मौसम मक्खी–मच्छर व जीवाणु–विषाणु के बढ़ने व उनसे होने वाले संक्रमण का समय होता है जिससे विभिन्न रोग फैलते हैं जिनसे बचाव के लिये नीम के पत्तों, उसकी हवा व छांव का प्रयोग किया जाये जिससे चेचक–खसरा आदि जैसे रोगों से बचाव हो सके। शरद ऋतु समाप्त हो चुकी है और ग्रीष्म ऋतु आरम्भ हो चुकी है अतः पंखे का प्रयोग आरम्भ किया जा सकता है।

बासोड़ा पर बासी भोजन के पीछे वैज्ञानिक संकेत है कि अब गर्मी की ऋतु आ गई है, अतः आज (बासोड़ा) के बाद, बासी भोजन का उपभोग बंद कर दें ताकि हैजा, कालरा, और डायरिया आदि जैसी बीमारियों से बचाव हो सके।

होली पर गले मिलने की परम्परा के पीछे सामाजिक विज्ञान छिपा हुआ है। इस दिन वर्ष के दौरान हुए लड़ाई–झगड़ों को भूल कर सभी को, बिना किसी भेद–भाव के गले लगा लिया जाता है जो अस्पृश्यता की कुरीति को भी समाप्त करने का एक तरीका है।

सम्वत् आरम्भ पर नीम की पत्ती, काली मिर्च व मिश्री के प्रसाद की परम्परा – होली के 15 दिन बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नव संवत प्रारम्भ होता है और यह भारतीय नव वर्ष का प्रथम दिन होता है। इस दिन मातृ भूमि की पूजा की जाती है और नीम के पत्ती, काली मिर्च और मिश्री का प्रसाद वितरित किया जाता है। आयुर्विज्ञान की दृष्टिकोण से यह अत्यंत लाभदायक और उपयोगी है और यह परम्परा इस मौसम में, इन पदार्थों के सेवन का संकेत है जो कि खाँसी–जुकाम, पेट के रोग व त्वचा रोगों से बचाव व निदान करते हैं।

तुलसी पूजन व इसके पत्तों का बिना चबाये सेवन – धार्मिक रूप से जब किसी पौधे या वृक्ष का पूजन बता दिया जाता है तो इसका संरक्षण स्वतः ही हो जाता है। तुलसी, प्रत्येक भारतीय हिंदू समाज में पूजनीय पौधा बताया गया है और अधिकांशतया प्रत्येक हिंदू घर में रखना शुभ माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टकोण से देखें तो इसकी उपस्थिति, वायु को शुद्ध करती है। इसके पत्तों के जल में भिगोकर, मंदिरों में चरणामृत दिया जाता है जो कि स्वास्थ्य के लिये लाभप्रद है। कहते हैं कि जो व्यक्ति रोजाना 5 पत्ते तुलसी के सेवन करता है उसको मलेरिया ज्वर नहीं होता है। इसके अतिरिक्त तुलसी सामान्य ज्वर व खाँसी जुकाम में भी लाभदायक है। परम्परा है कि तुलसीदल (तुलसी का पत्ता) को दांतों से चबाकर नहीं खाना चाहिये। इस परम्परा के पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि तुलसी के पत्तों में पारा धातु होती है जो कि दांतों

के इनेमल को नुकसान पहुंचाता है और दांतों का रंग खराब कर सकता है। इसीलिये, तुलसीदल को बिना चबाये (पीस कर या मसल के गोली बनाकर) निगलने का विधान बताया गया है।

विभिन्न व्रत व उनमें खाया जाने वाला भोजन – आज अनेक डॉक्टर व डाइटीशियन्स, अक्सर मिश्रित अनाज खाने की सलाह देते हैं। एक जापानी वैज्ञानिक ने यह भी सिद्ध किया है कि 12 से 16 घंटे की फास्टिंग अर्थात भूखे रहने से हमारा शरीर डिटॉक्सीफाई होता है और कुछ आन्तरिक क्रियाओं के द्वारा रोग बढ़ाने वाली अथवा रोगी कोषिकाओं का क्षरण होता है।

हिंदू संस्कृति में विभिन्न साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक व वार्षिक व्रत रखे जाते हैं जिनमें एक निश्चित अवधि तक कुछ न खाने तथा कुछ विशिष्ट प्रकार का भोजन करने का विधान है। सोमवार के व्रत में सायं गेहूँ के आटे से बना मीठा भोजन अथवा चावल और दूध से बनी खीर का प्रयोग किया जाता है तो गुरुवार के व्रत में बेसन से बने भोज्य पदार्थ खाये जाते हैं। शनिवार के व्रत में उड़द की दाल से बनी खिचड़ी खाई जाती है तो रविवार के व्रत में नमक खाना निषेध है। एकादशी तिथि पर चावल खाना निषेध है तो पूर्णिमा के व्रत में सूर्योदय से चंद्रोदय तक कुछ भी खाना व पीना निषेध है। पाँच नाज पच्चीस पूर्णिमा में पाँच–पाँच पूर्णिमा में, अलग–अलग अनाज का भोजन किया जाता है। जन्माष्टमी व शिवतेरस जैसे वार्षिक व्रतों में अनाज नहीं खाया जाता, फलाहार व कूटू एवं चौलाई (मिलेट्स) का ही किया सेवन जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे व्रत और उनके दौरान किये जा रहे भोजन, शरीर को डिटॉक्सीफाई करने और शरीर में मिश्रित अनाज पहुंचाने के साथ नमक के निषेध द्वारा, सोडियम की कम मात्रा पहुंचाने के तरीके हैं जो शारीरिक विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत लाभदायक है।

इस प्रकार, परम्पराएं, सामाजिक परिवेश का एक महत्वपूर्ण अंग हैं जो किसी न किसी रूप में स्वास्थय विज्ञान, शरीर विज्ञान या सामाजिक विज्ञान आदि से जुड़ी हुई हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज को लाभान्वित करती हैं और एकता के सूत्र में पिरोये रखती हैं।

समस्त भारतीय भाषाओं के के लिए यदि को एक लिपि आवश्यक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है।
– जस्टिस कृष्णस्वामी अय्यर

••••••••••••••••••••••••••••

नरेश कुमार आहूजा
प्रधान निजी सचिव
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ

दौर

आज मैं परेशां हूँ किसी वजह से, ये एक दौर है गुजर जाएगा,
मुझे दुख देने वाले जुल्मी, कल तू बहुत पछताएगा।

मालिक ने जो तुझे बख्शा है, वो मेरे पास भी है,
घमंड न कर अपने वजूद का, ये पानी का बुलबुला है बिखर जाएगा।

अगर बुद्धिमान है तो बुद्धि से काम ले, मंदबुद्धि को डांट नहीं, उसे संभाल ले,
मार पड़ेगी जब ऊपरवाले की, तू कहीं का भी ना रह पाएगा।

मेरा क्या है ! मैं तो ठोकरें खाकर पत्थर हो गया हूँ,
अपने को शीशा समझने वाले, मत टकरा मुझसे, नहीं तो चूरचूर हो जाएगा।

कभी डराने का तो कभी डरने का, समय आता है हिसाब बराबर करने का,
मत इतरा अपनी औकात पर, मिटटी से बना है मिटटी में ही मिल जायेगा।

जो घूसखोरी करते हैं, समझते हैं उनका अंत ना हो पायेगा,
वो अक्सर भूल जाते हैं कि कफ़न में जेब नहीं होती, कुछ ना साथ जाएगा।

आज मैं परेशां हूँ किसी वजह से, ये एक दौर है गुजर जाएगा,
मुझे दुख देने वाले जुल्मी, कल तू बहुत पछताएगा।

•••••••••••••••••••••••••••

“जिंदगी गुलामी में नहीं बितानी है”

रास्ते हमेशा धूप से तपते मिलेंगे,
इस तपन को सहने की हिम्मत जुटानी है।
भीड़ ही भीड़ देख कर डरना लाज़मी है,
इस डर को चीर कर, एक नई राह बनानी है।
मंजिल कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो,
भरोसे के एक कदम से करीब लानी है।
सुनते हैं, जिंदगी हर पल रंग बदलती है,
होंसले से इसको सुनहरे रंग से सजानी है।
सब अपने हैं इस जग में ये एक भ्रम है,
अकेले ही चल कर, ये भ्रान्ति मिटानी है।
जिंदगी खट्टे मीठे लम्हों का एक गुलदस्ता है,
छोटी छोटी खुशियों से खुशनुमां बनानी है।
असल में जिंदगी चंद उम्मीदों के खिलौनों पर टिकी है,
इन्हीं खिलौनों से ही जिंदगी बहलानी है।
क्यों ढूँढ़ते हैं हम रोशनी को अंधेरों में,
खुद को जला कर, एक नई मशाल बनानी है।
रोकना क्यों संघर्ष भरे रास्तों को,
जीवन की कश्ती तो जूनून से पार लगानी है।
दूसरों को बदलने की चाह नहीं है मुझमें,
मुझे तो खुद को बदल कर, खुशियां लुटानी हैं।
मुझे लगता है मेरी सोच पर लोग हँसेगें मुझ पर,
परवाह नहीं, हँसना ही तो जिंदगानी है।
इसलिए तो कहता हूँ जिंदगी गुलामी में नहीं बितानी है।

अमित कुमार
निजी सचिव,
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, लखनऊ न्यायपीठ

एहसास

वो मेरी पहचान बनकर।
यूं तो बरसों रह गई।।
दिल के कुछ अरमान बनकर।
यूँ समेटे रह गई।।
मै उसे कुछ यूँ मिला के।
वक्त भी ठहरा लगा।।
वो मेरी हर साँस में।
एहसास बनकर रह गई।।
वक्त भी कुछ यूँ गुजरने।
अब लगा है यूँ "अमित"।।
ठहरे पानी से मेरी।
पहचान बनकर रह गई।।

अजनबी

जिंदगी ऐसे तो हालात न कर।
अजनबी जैसे मुझसे बात न कर।।
थम गई सांस मेरी।
जो नजर ना आए वो।।
जिंदगी रुक सी गई।
जो ना मुस्कुराए वो।।
फिर कभी ऐसी कोई।
मुझसे उनकी बात न कर।।
जिंदगी ऐसे तो हालात न कर।
अजनबी जैसे मुझसे बात न कर।।
गुजरते वक्त की कुछ।
वो निशानियां लेकर।।
वो मेरे घर को चले।
कुछ कहानियाँ लेकर।।
अब इसके बाद कभी।
उनकी कोई बात न कर।।
जिंदगी ऐसे तो हालात न कर।
अजनबी जैसे मुझसे बात न कर।।

हिन्दी जैसी सरल भाषा कोई दूसरी नहीं है।
— मौलाना हसरत मोहानी

••••••••••••••••••••••••••••

जिंदगी

कुछ उलझ गया।
जिंदगी की तरह।।
मैं तो घर में रहा।
अजनबी की तरह।।
(1)
जाने–पहचाने चेहरे।
लगे मुझको सब।।
मै गुज़रता रहा।
भीड़ में इस तरह।।
(2)
इंतजार–ए–वफा।
एक एहसास था।।
वक्त गुजारा किया।
उसे घड़ी की तरह।।
(3)
तुम भी शामिल थे।
इस जिंदगी में मगर।।
तुमसे मिलना रहा।
दोस्तों की तरह।।
(4)
मेरे घर में भी है।
कांच की खिड़कियां।।
मैं भी डरता रहा।
सोच के इस तरह।।
(5)
कुछ उलझ गया।
जिंदगी की तरह।।
मैं तो घर में रहा।
अजनबी की तरह।।

तेरी तलाश में

है कठिन डगर जमाने की।
जरा थम के गुजरिये।।
सपनों में आइये जरा।
कुछ करके गुजरिये।।
है कठिन डगर जमाने की।
जरा थम के गुजरिये।।
(1)
यूँ दिन गुजर तो जाएंगे।
तेरी तलाश में।।
ऐसा ना हो कि आप भी।
इस गम से गुजरिये।।
है कठिन डगर जमाने की।
जरा थम के गुजरिये।।
(2)
मुश्किल में जी रहा हूँ मैं।
उम्मीद है मगर।।
बदले मेरे हालात तो।
मेरे घर से गुजरिये।।
है कठिन डगर जमाने की।
जरा थम के गुजरिये।।
(3)
चाहा था तुम्हें रोक लूँ।
इस दिल ने भी मगर।।
नजरों के रास्ते कभी।
इस दिल में उतरिए।।
(4)
है कठिन डगर जमाने की।
जरा थम के गुजरिये।।
सपनों में आइये जरा।
कुछ करके गुजरिये।।

सीमा रानी
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण.,प्रधान न्यायपीठ

राजभाषा हिन्दी

मानव जाति अपने सृजन से ही स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए तरह–तरह के माध्यम खोजती रही है। आपसी संकेतों के सहारे एक–दूसरे को समझने की ये कोशिशें अभिव्यक्ति के सर्वोच्च शिखर पर तब पहुँच गई जब भाषा का विकास हुआ। भाषा लोगों को आपस में जोड़ने का सबसे सरल और जरूरी माध्यम है। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, जिसमें विभिन्न प्रान्तों में अलग–अलग भाषाएं प्रचलित हैं। ऐसे में कौन–सी भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित की जाए, यह प्रश्न वाद–विवाद का विषय बना हुआ है।

राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या है? किसी भी देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है, जिसका अपने देश की संस्कृति एवं साहित्य से गहरा संबंध हो। राष्ट्रभाषा बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि उसे देश की बहुसंख्यक जनता बोलती–समझती हो तथा जिसका अन्य प्रांतीय भाषाओं से भी घनिष्ठ संबंध हो। साथ ही राष्ट्रभाषा में अन्य भाषाओं के शब्दों को पचाने की क्षमता भी होनी चाहिए। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। एक भाषा के रूप में हिन्दी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारी संस्कृति एवं संस्कारों की संवाहक एवं परिचायक भी है। बहुत ही सरल भाषा होने के कारण इसे समझने, बोलने एवं चाहने वाले लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं।

हिन्दी भारतीय संस्कृति, सभ्यता से भी जुड़ी हुई है, जिसका साहित्य उच्चकोटि का एवं गौरव को बढ़ाने वाला है। भारत की प्राचीन भाषाओं, संस्कृत, प्राकृत, पालि एवं अपभ्रंश से इसका निकट संबंध है। संस्कृत के बहुत सारे शब्द हिन्दी में प्रचलित हैं एवं आज नए शब्दों का गठन संस्कृत व्याकरण के आधार पर हिन्दी में किया जा रहा है। हिन्दी का शब्द भंडार पर्याप्त समृद्ध है तथा इसमें अन्य प्रांतीय भाषाओं को पचाने की सामर्थ्य भी है।

एक भाषा के रूप में अगर हिंदी भाषा की विकास यात्रा की बात करें तो यह एक लंबी और सतत प्रक्रिया है। एक भाषा के विकास में उस समाज और संस्कृति की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है जहाँ पर यह बोली जाती है। हिंदी भाषा के विकास में भी, समाज और संस्कृति की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है; खासकर उत्तर भारतीय राज्यों की भूमिका। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत रही है और इसी भाषा के विभिन्न काल खंडों में अलग–अलग स्वरूपों में हुए वियोजन से हिंदी का विकास हुआ है।

संस्कृत भाषा से पालि, पालि से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से पुरानी हिंदी और पुरानी हिंदी से आधुनिक हिंदी का विकास हुआ है जिसे आज हम बोलते हैं। हालांकि इसे लेकर मतभेद है कि अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है या पुरानी हिंदी से, परंतु वर्तमान भाषाविज्ञानी इसे

अपभ्रंश से ही विकसित हुआ मानते है।

अगर हिंदी भाषा के विकास के कालखंड की बात करें तो यह तीन कालों में विकसित हुई– पहला कालखंड 1100 ईस्वी – 1350 ईस्वी का माना जाता है, इसे प्राचीन हिंदी का काल कहा जाता है। दूसरा कालखंड मध्य काल (1350 ईस्वी – 1850 ईस्वी) कहा जाता है। इस काल में हिंदी भाषा की बोलियों अवधी और ब्रज में विपुल साहित्य रचा गया। तीसरा कालखंड 1850 ईस्वी से अब तक माना जाता है और इसे आधुनिक काल की संज्ञा दी जाती है। इस काल में हिंदी भाषा का स्वरूप बेहद तेजी से बदला है।

दरअसल इस काल में हिंदी जन–जन की भाषा बन गई। ये वो दौर था जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और इस दौरान हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में प्रचलन खूब बढ़ा। ये हिंदी भाषा का ही असर था कि उत्तर भारत ही नहीं दक्षिण भारत से भी आने वाले आजादी के नायकों ने इसे राष्ट्रभाषा के रूप मे स्वीकार किये जाने की पुरजोर वकालत की, हालांकि हिंदी भाषा को आज तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल सका है। यदि राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर की बात की जाए तो इनमें दो प्रमुख अंतर हैं; एक अंतर इन्हें बोलने वालों की संख्या से है और दूसरा अंतर इनके प्रयोग का है। राष्ट्रभाषा जहाँ जनसाधारण की भाषा होती है और लोग इससे भावात्मक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े होते हैं तो वही राजभाषा का सीमित प्रयोग होता है। राजभाषा का प्रयोग अक्सर सरकारी कार्यालयों और सरकारी कार्मिकों द्वारा किया जाता है। कुछ देश जैसे ब्रिटेन की इंग्लिश, जर्मनी की जर्मन और पाकिस्तान की उर्दू; राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक ही है। मगर बहुभाषी देशों के साथ यह समस्या है कि यहाँ राष्ट्रभाषा और राजभाषा अलग–अलग होती है।

राष्ट्रभाषा किसी देश को एक करने के लिहाज से बेहद महत्त्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में गुजरात के भरूच में हुए गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की वकालत की थी–

''भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है क्योंकि यह अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है; यह समस्त भारत में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक सम्पर्क माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम है तथा इसे सारे देश के लिए सीखना आवश्यक है।''

हालांकि आजादी के बाद इसे लेकर तमाम तरह के विवाद हुए और अंततः अंग्रेजी के साथ इसे राजभाषा के रूप में ही स्वीकार किया गया। शुरूआत में तो यह प्रावधान 15 वर्षों के लिए ही था और साथ ही संसद को भी ये शक्ति दी गई थी कि वो अंग्रेजी के प्रयोग को बढ़ा सकता है। परंतु हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाए जाने के समय के पूर्व ही अहिंदी भाषी राज्यों का विरोध इस कदर तीव्र हो गया कि अंततः तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को अहिंदी भाषी राज्यों को ये आश्वासन देना पड़ा कि आपकी सहमति के बिना हिंदी को एकमात्र राजभाषा नहीं बनाया जाएगा।

इसलिए वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। वर्ष 1967 में इसे संशोधित किया गया। इसमें किये गए प्रावधानों से अहिंदी भाषी राज्यों की तो चिंता खत्म हो गई मगर हिंदी को राष्ट्रीय एकता का प्रमुख तत्व मानने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई। सरकार ने इन चिंताओं को संबोधित करते हुए त्रिभाषा फार्मूला दिया। इसके अंतर्गत पहली भाषा मातृभाषा होगी जिसमें प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। दूसरी भाषा गैर हिन्दी भाषियों के लिए हिंदी और हिंदी भाषियों के लिए आठवीं अनुसूची में शामिल कोई

भी भाषा होगी। तीसरी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी अंग्रेजी होगी ताकि शिक्षित भारतीय विश्व से भी आसानी से जुड़ सकें।

हालांकि विभिन्न राज्यों की सहमति के अभाव में इसे लागू नहीं किया जा सका। इसी क्रम में वर्ष 1976 में राजभाषा अधिनियम लाया गया और इसके अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। यह विभाग ही हिंदी के प्रचार–प्रसार से संबंधित विभिन्न समारोहों जैसे हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी सप्ताह का आयोजन कराता है। इसी के तत्त्वाधान में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। 14 सितंबर, 2017 को राजभाषा विभाग द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने देशभर के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों एवं कार्यालयों को राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया। हिन्दी दिवस के मौके पर राजभाषा विभाग द्वारा सी डैक, पुणे के सहयोग से तैयार किए लीला ऐप का लोकार्पण भी किया। इस ऐप से देशभर में विभिन्न भाषाओं के माध्यम से जन सामान्य को हिन्दी सीखने में सुविधा और सरलता होगी तथा हिन्दी भाषा को समझना सीखना तथा कार्य करना संभव हो सकेगा।

हिंदी भाषा की वैश्विक स्थिति की बात की जाए तो यह विश्व के 150 से अधिक देशों में फैले 2 करोड़ भारतीयों द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा 40 देशों के 600 से अधिक विश्वविद्यालयों और स्कूलों में पढाई जाती है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक, व्यक्ति संख्या की दृष्टि से विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है, तो दूसरा स्थान हिंदी भाषा का है। इसके अलावा भारत और फिजी की यह राजभाषा है। ब्रिटिश भारत काल के दौरान बहुत से श्रमिको को भारत से बाहर ले जाया गया था। इनमें से अधिकांश देशों में हिंदी भाषा आज एक क्षेत्रीय भाषा है; ये देश है– मॉरीशस, सूरीनाम, त्रिनिनाद, गुयाना आदि। मॉरीशस में तो विश्व हिंदी सचिवालय की भी स्थापना की गई है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा अभी भी हिंदी को नहीं मिल सका है।

अगर हिंदी भाषा की एक भाषा के तौर पर सामयिक स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो इसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो इसे 'राष्ट्रभाषा की स्वीकार्यता' का न मिलना है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का विरोध दक्षिण भारत में हुआ है। कैसी विडम्बना है कि एक भारतीय भाषा का तो विरोध करते हैं परंतु विदेशी भाषा अर्थात अंग्रेज़ी के समर्थक हैं। यह अत्यंत खेदजनक है कि लोग हिन्दी का विरोध करते हैं और उसके स्थान पर किसी अन्य भारतीय भाषा की वकालत न करके अंग्रेजी का समर्थन करते हैं। आज हिन्दी की लड़ाई किसी अन्य भारतीय भाषा से न होकर अंग्रेजी से है। इसके अलावा एक उच्च शिक्षित अभिजात्य वर्ग ऐसा भी है जो हिंदी बोलने में शर्म और हिचकिचाहट महसूस करता है एवं जो अंग्रेज़ी सभ्यता, संस्कृति के गुलाम बन चुके हैं। देश की स्वतन्त्रता के बाद भी वे मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं हुए हैं। देश में तकनीकी एवं आर्थिक समृद्धि के साथ–साथ अंग्रेज़ी पूरे देश पर हावी होती जा रही है, हिन्दी देश कि राजभाषा होने के बावजूद आज हर जगह अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है।

अंग्रेजी को लोग पढे–लिखे की भाषा समझते हैं और अंग्रेजी बोलने वालों को आदर–सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। वह उच्च वर्ग की भाषा समझी जाती है। यही कारण है कि अभी तक अंग्रेजी के पैर नहीं उखाड़ पाए हैं किन्तु जिस दिन लोग अपनी भाषा के प्रति स्नेह करने लगेंगे, उस दिन से अंग्रेजी भाषा का बोलबाला समाप्त हो जाएगा। अंग्रेजी की इस स्थिति को समाप्त करना ही होगा क्योंकि अपनी

भाषा की उन्नति से ही देश की उन्नति हो सकती है। भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने इसलिए कहा था–

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल,
बिनु निज भाषा–ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।

हिंदी भाषा के सामने दूसरी प्रमुख चुनौती यह है कि यह अब तक रोजगार की भाषा नहीं बन पाई है। आज तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों के दैनिक कामकाज से लेकर कार्य संचालन की भाषा अंग्रेजी है। इसके अलावा तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी अपने निहित स्वार्थों के लिए हिंदी का विरोध करते हैं। अभी भी भारत में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का माध्यम ज्यादातर अंग्रेजी ही रहता है। हिंदी भाषा की हालत आज ऐसी है कि इसके संबंध में जागरूकता सृजन के लिए विभिन्न सेमिनारों, समारोहों और कार्यक्रमों का सहारा लेना पड़ता है।

भाषा का विकास उसके साहित्य पर निर्भर करता है। आज के तकनीकी युग में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हिन्दी में काम को बढ़ावा देना चाहिए ताकि देश की प्रगति में ग्रामीण संख्या सहित सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके लिए यह अनिवार्य है कि हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी ज्ञान से संबन्धित साहित्य का सरल अनुवाद किया जाए। इसके लिए राजभाषा विभाग ने सरल हिन्दी शब्दावली भी तैयार की है। राजभाषा विभाग द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान–विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन योजना के द्वारा हिन्दी में ज्ञान–विज्ञान कि पुस्तकों के लेखन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे हमारे विद्यार्थियों को ज्ञान–विज्ञान संबंधी पुस्तकें हिन्दी में उपलब्ध होंगी। हिन्दी भाषाओं के माध्यम से शिक्षित युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें, इस दिशा में निरंतर प्रयास भी जरूरी है।

हालांकि इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल ने हिंदी भाषा के भविष्य के संबंध में भी नई राहें दिखाई हैं। गूगल के अनुसार भारत में अंग्रेजी भाषा में जहाँ विषयवस्तु निर्माण की रफ्तार 19 फीसदी है तो हिंदी के लिए ये आंकड़ा 94 फीसदी है। साथ ही बॉलीवुड की फिल्मों ने भी हिन्दी के व्यापक प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देने सहयोग दिया है। हिंदी को नई सूचना–प्रौद्योगिकी की जरूरतों के मुताबिक ढाला जाए तो ये इस भाषा के विकास में बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के स्तर पर तो प्रयास किए ही जाने चाहिए, निजी स्तर पर भी लोगों को इसे खूब प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषियों को भी गैर हिंदी भाषियों को खुले दिल से स्वीकार करना होगा। उनकी भाषा–संस्कृति को समझना होगा तभी वो हिंदी को खुले मन से स्वीकार करने को तैयार होंगे।

भाषा वही जीवित रहती जिसका प्रयोग जनता करती है। भारत में लोगों के बीच संवाद का सबसे बेहतर माध्यम हिन्दी है। महात्मा गांधी जैसे नेता ने हिन्दी को भारत की आत्मा के रूप में पहचाना था और वे उसी का उपयोग जनता के साथ संपर्क हेतु करते थे। इसलिए हिन्दी को एक–दूसरे में प्रचारित करना चाहिए। जब तक हम राष्ट्रभाषा के प्रश्न को राष्ट्रीय स्वाभिमान से नहीं जोड़ते, तब तक हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। हिन्दी का प्रयोग करने में हीनता का अनुभव करना जिस दिन भारतवासी छोड़ देंगे एवं उसके प्रयोग में गौरव का अनुभव करेंगे, उसी दिन से हिन्दी का उत्कर्ष प्रारम्भ होगा, और वह सच्चे अर्थों में राष्ट्रभाषा बनने की राह पर अग्रसर होगी।

हिन्दी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है।
– पुरुषोत्तम दास टंडन

•••••••••••••••••••••••••••

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली में हिंदी दिवस – 2023

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ में वर्ष 2023 में हिंदी पखवाड़े के दौरान–हिंदी निबंध, हिंदी सामान्य ज्ञान व हिंदी काव्यपाठ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा (माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा) निम्नलिखित विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए :–

1. हिंदी निबंध प्रतियोगिता

प्रथम : श्री मनीष तिवारी, केयरटेकर
द्वितीय : सुश्री नेहा शर्मा, निजी सचिव
तृतीय : सुश्री दीपाली अग्रवाल, कनिष्ठ सहायक
सांत्वना : श्रीमती पिंकी यादव, स्टेनो "डी"

2. हिंदी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता

(एम.टी.एस. को छोड़कर सभी वर्ग)

प्रथम : सुश्री आकांशा रूहेला, कनिष्ठ सहायक
द्वितीय : श्रीमती ऊर्मिल सेठ, वरिष्ठ सहायक
तृतीय : श्री सौरभ सरदाना, सहायक अनुभाग अधिकारी
सांत्वना : श्रीमती कृष्ण मीणा, कनिष्ठ सहायक

3. हिंदी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता

(केवल एम.टी.एस.वर्ग)

कुल प्रतिभागी – 10
प्रथम : श्री मंगल सिंह, एम.टी.एस.
द्वितीय : श्री धीरज कुमार, एम.टी.एस.
तृतीय : श्री बालम सिंह, एम.टी.एस.
सांत्वना : श्री फिरोज, एम.टी.एस.

4. हिंदी काव्य पाठ (सभी वर्ग)

प्रथम : सुश्री आकांशा रूहेला, कनिष्ठ सहायक
द्वितीय : श्री नरेश कुमार आहूजा, प्रधान निजी सचिव
तृतीय : श्री सौरभ सरदाना, सहायक अनुभाग अधिकारी
सांत्वना : श्री रितेश कुमार गुंजन, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

....

राजभाषा अधिनियम एवं नियम के महत्वपूर्ण अंश

अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत द्विभाषी जारी होने वाले (14) कागजात

1.	सामान्य आदेश	General Orders
2.	ज्ञापन	Memorandum
3.	अधिसूचना	Notification
4.	संकल्प	Resolution
5.	नियम	Rules
6.	करार	Agreement
7.	संविदा	Contract
8.	टेंडर नोटिस	Tender Notice
9.	अनुज्ञप्ति	License
10.	अनुज्ञापत्र	Permit
11.	सूचना	Notice
12.	प्रशासनिक और अन्य प्रतिवेदन	Administrative and other reports
13.	प्रेस विज्ञप्ति	Press Communiqué
14.	संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागजात	Administrative and other reports and official papers laid before a House or Houses of Parliament.

हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देने की अनिवार्यता

राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार सभी क्षेत्रों से प्राप्त हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में ही देना अनिवार्य है।

नियम 11

राजभाषा नियम 1976 के नियम '11' के अनुसार लेखन सामग्री, नामपट्ट पत्रशीर्ष, लिफाफे, विजिटिंग कार्ड तथा रबड़ की मुहर हिंदी व अंग्रेजी में लिखी जाएंगी एवं मुद्रित होंगी।

कार्यालयीन कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सामान्य वाक्यांश

1.	Sanctioned as proposed	प्रस्ताव के अनुसार मंजूर/यथा प्रस्तावित संस्वीकृत
2.	Should be given top priority	सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए
3.	Under intimation to this office	इस कार्यालय को सूचित करते हुए
4.	Approved	अनुमोदित
5.	Most immediate	अति तत्काल
6.	Verified and found correct	पड़ताल की और ठीक पाया
7.	Kindly review the case	कृपया मामले पर पुनर्विचार करें
8.	In pursuance of........	.... के अनुसरण में
9.	For favour of necessary action	आवश्यक कार्रवाई के लिए
10.	Please speak	कृपया बात करें
11.	No further action is required	आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है
12.	The required papers are placed below	अपेक्षित कागज–पत्र नीचे रखे हैं
13.	Issue reminder immediately	तुरंत अनुस्मारक भेजें
14.	Expedite action	शीघ्र कार्रवाई करें
15.	Issue today	आज ही जारी करें
16.	Draft reply is put up for approval	उत्तर का प्रारूप अनुमोदन के लिए प्रस्तुत
17.	Do the needful	आवश्यक कार्रवाई करें
18.	Issue as amended	यथा संशोधित भेज दें
19.	Explanation may be called for	सपष्टीकरण माँगा जाए
20.	I am to say	मुझे यह कहना है कि

आप जिस तरह से बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।

– महावीर प्रसाद द्विवेदी

••••••••••••••••••••••••••••••

विवेक कुमार गुप्ता
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, लखनऊ न्यायपीठ

राजभाषा हिंदी का गौरव

राजभाषा हिन्दी का, है गौरव महान,
संविधान ने दी पहचान, बढ़ाया इसका मान।

संस्कृत की बेटी है, प्राकृत की सहेली,
हर शब्द में मिठास है, हर भाव में खेली।

स्वतंत्रता संग्राम में, हिन्दी ने दी आवाज़,
गांधी, नेहरू, सुभाष ने, लहराया इसका परचम।

दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम,
हिन्दी ने जोड़ा सबको, बना दिया एक संगम।

आज भी हिन्दी है, हमारी पहचान,
राजभाषा के रूप में, बढ़ाएं इसका मान।

आओ मिलकर करें, हिन्दी का सम्मान,
हर दिल में बसाएं, इसे अपना अभिमान।

हिन्दी की धारा बहे, हर दिल में समाए,
संविधान ने अपनाया, इसे राजभाषा बनाए।

अधिकारियों का प्रयास, हिन्दी को अपनाना,
सरकारी कामकाज में, इसे आगे बढ़ाना।

हर मंत्रालय में, हिन्दी का हो प्रचार,
सभी विभागों में, हो इसका विस्तार।

संविधान की धारा, 343 से 351 तक,
हिन्दी को राजभाषा का, मिला है सम्मान।

पर आज भी चुनौतियाँ, हैं इसके सामने,
अधिकारियों का संकल्प, इसे दूर करने में।

आओ मिलकर करें, हिन्दी का सम्मान,
हर दिल में बसाए, इसे अपना अभिमान।

करुणानिधि तिवारी
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, गुवाहाटी न्यायपीठ

कार्यालय / कार्यालयीन कार्यों में हिंदी को कैसे बढ़ावा दें

प्रस्तावना :–

भाषा किसी भी देश के सामाजिक, साहित्यिक, दार्शनिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं को समझने की सशक्त एवं प्रभावशाली माध्यम होती है। कोई भी देश अपनी भाषा को जाने बिना अपने पारंपरिक, सामाजिक एवं साहित्यिक धरोहर को सहेज कर नहीं रख सकता। भारत जैसे बहुभाषी, सामाजिक–धार्मिक–सांस्कृतिक विविधता वाले देश में उपरोक्त सभी विविधताओं को एक कड़ी में पिरोकर रख पाने में सक्षम, जन–जन की भाषा के रूप में प्रतिस्थापित हिंदी भाषा, इस गौरवमय स्थान की अधिकारिणी है। इस कारण ही संघ सरकार के राजकाज के कार्य तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच संपर्क भाषा की भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व हिंदी को सौंपा गया क्योंकि इसे भारत देश के अधिकांश लोग बोलते और समझते हैं तथा यह भारत की सामाजिक–सांस्कृतिक–राजनीतिक परंपराओं से जुड़ी हुई भी है। यद्यपि इस संबंध में अनुच्छेद 343 के तहत व्यवस्था भी की गई तथापि यह विधि की विडंबना ही है कि संवैधानिक रूप से प्रथम राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझे जानी वाली भाषा होने के बावजूद इसकी अनुचरी विदेशी भाषा ही, एक तरह से इसकी स्वामिनी बन बैठी और अपने ही देश में अपनी ही राजभाषा को उसका यथोचित सम्मान न मिल पाया। प्रस्तुत पंक्तियाँ दर्शनीय हैं :–

''एक विदेशिनी बन बैठी है, भारत की पटरानी
दूर खड़ी किसी कोने में, हिदी हुई शर्म से पानी''

स्वाधीनता के पश्चात् से ही हमारे देश के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी की एक प्रकार से घोर अनदेखी की गई, जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश की प्रथम राजभाषा अपने ही देश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ऐसी स्थिति में यह अनिवार्य हो जाता है कि हम उन कारकों की, परिस्थितियों की मीमांसा करें, जिनके फलस्वरूप राजभाषा हिंदी अपना यथोचित स्थान पाने को संघर्षरत है तथा साथ ही उन युक्तियों का विश्लेषण भी अपरिहार्य है जिससे कि हम कार्यालयों में हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा दे सकें:–

(1) पत्राचार एवं प्रशासनिक कार्य व्यवहार :

राजकाज अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार ''केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि के बीच पत्र–व्यवहार के लिये हिंदी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन जब तक संबंधित कार्यालयों, आदि के कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न कर लें, तब तक पत्रादि का दूसरी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाता रहेगा।'' इस अधिनियम के प्रश्रय में कार्यालयों में हिंदी की घोर अनदेखी हुई और होती आ रही है।

जबकि अधिनियम के अनुसार पत्र हिंदी में उपलब्ध कराना है और संशय की स्थिति में उसकी अंग्रेजी प्रति उपलब्ध करान है। दूसरे शब्दों में, संघ सरकार के कार्यालयों के कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने का प्रावधान तो किया गया लेकिन अंग्रेजी के प्रयोग को भी जारी रखने की छूट दे दी गई, जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेजी आज भारत की वास्तविक राजभाषा बन गई है। हिंदी के सभी तरह से सामर्थ्यवान होने के बावजूद एक प्रकार से अंग्रेजी को उस पर थोप दिया गया और भारत सरकार के कार्यालयों में बड़े पैमाने पर अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है। इस संबंध में प्रस्तुत पक्तियों दर्शनीय हैं:–

''हिंदी से अभिव्यक्ति के, सभी कार्य हैं साध्य
फिर अंग्रेजी पालकी क्यों ढोने को बाध्य''

किसी भी स्वाधीन राष्ट्र में उसकी राजभाषा इतने समय तक उपेक्षित नहीं रही है। आजादी के साल दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी हमारी सरकारी सोच पर अंग्रेजी हावी है। तुर्की जब आजाद हुआ तो एक हफ्ते में ही वह विदेशी भाषा के चंगुल से मुक्त हो गया था। इसके उलट भारत में आज ऐसी स्थिति है कि अपनी प्रथम राजभाषा हिंदी से लगाव या उस पर गौरव करना तो अपराध करने जैसा प्रतीत होने लगा है। हिंदी के पक्ष में बोलने वालों को अक्सर आलोचना झेलनी पड़ती है, उसकी सोच को मध्यकालीन करार दिया जाता है और अंग्रेजी तथाकथित आधुनिकता की वाहक मानी जाने लगी है। इस स्थिति पर ही भारतेन्दु हरिश्चंद्र जी ने निज भाषा की वकालत करते हुए कहा था :–

''अंग्रेजी पढ़िके जदपि, सब गुण होत प्रवीन
पै निज भाषा ज्ञान बिनु, रहत हीन के हीन''

अतः, कार्यालयों में इस आचरण को विकसित करने की आवश्यकता है कि हिंदी का प्रयोग हमें हीन नहीं बनाता अपितु इसके व्यवहार से हम एक ओर अपनी राष्ट्रीय अस्मिता सुदृढ़ कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर परतंत्रता की प्रतीक अंग्रेजी की मानसिक गुलामी से मुक्ति भी पा रहे हैं। भाषा के रूप में अंग्रेजी समृद्ध है परंतु हिंदी जब किसी लिहाज से कमतर नहीं तो आखिर अपनी ही भाषा की ऐसी अनदेखी क्यों? आत्मनिर्भरता के दौर में अपनी भाषा के प्रति अगाध सम्मान एवं किसी भी तरह की हीन भावना को त्याग कर, अपने कार्य–व्यवहार में शनैः शनैः हिंदी भाषा को अपनाकर ही हम सही मायने में एक आत्म–निर्भर सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण में अपना महती योगदान कर पाएंगे।

(2) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की सक्रिय भूमिका :—

केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर) 25 या इससे अधिक है, वहाँ राजभाषा कार्यान्वयन समितियों बनाई गई हैं। राजभाषा अधिकारी/अनुवादक इस समिति के सदस्य सचिव तथा कार्यालय—प्रधान अध्यक्ष के रूप में नामित होते हैं। ये समितियाँ राजभाषा के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं पर आंतरिक रूप से विचार कर उनका समाधान ढूँढती हैं। यद्यपि इस समिति की बैठक हर तिमाही में होनी नियत है तथापि बहुत से कार्यालयों में बैठक मात्र कागजों पर ही सम्पन्न हो जाती है, जिससे कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की घोर अवहेलना होती है।

समिति के सचिव का यह कर्तव्य है कि वह राजभाषा हिंदी संबंधी नियमों एवं प्रयोजनों से कार्यालय के कार्मिकों को अवगत कराये एवं कार्यशाला तथा गोष्ठियों के माध्यम से उन्हें शिक्षित कर हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्रदान करे एवं अध्यक्ष सुनिश्चित करें कि कार्यालय में हिंदी के पर्याप्त प्रचार—प्रसार हो रहा है। राजभाषा अधिनियम के नियम 12 के अंतर्गत यह कार्यालय—प्रधान की जिम्मेदारी भी है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि नियम 05 के अंतर्गत हिंदी में आए पत्रों का प्रत्युत्तर हिंदी में ही देना है और जहाँ तक संभव हो प्रोत्साहन एवं पुरस्कार द्वारा कार्यालय के कार्मिकों को हिंदी में काम करने के लिये प्रोत्साहित करना है। कार्य की शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है परंतु समय के कुछ अंतराल के बाद ये स्थिति सामान्य हो जाएगी और हम पत्राचार तथा कार्य—व्यवहार हिंदी का व्यापक प्रयोग कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं:—

''बने कार्य—व्यवहार की, हिंदी भाषा आज
तब कल इसके शीश पर होगा गौरव ताज''

(3) हिंदी शिक्षण योजनाओं के तहत कार्मिकों का क्रमिक नामांकन :—

गृह मंत्रालय के द्वारा संचालित हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत केन्द्रीय कार्यालय के कार्मिकों को प्रबोध/प्रवीण/पारंगत एवं हिंदी टंकण तथा आशुलिपि की कक्षाओं के तहत शिक्षित किया जाता है। दुर्भाग्यवश, इन योजनाओं का समुचित लाभ सभी को प्राप्त नहीं हो पाता। इसका बहुत हद तक कारण हिंदी को थोपी हुई जिम्मेदारी मानकर उसकी अनदेखी करने की प्रवृति रही है। पाठ्यक्रम के लिये योग्य कार्मिकों को कभी अधिक कार्य—भार के बहाने नामांकित नहीं किया जाता तो प्रायः कार्मिक भी ऐसे पाठ्यक्रम के लिये अनिच्छा व्यक्त कर देते हैं जबकि इसकी अनिवार्यता विधिक है।

आवश्यकता है एक सूची बना कर क्रमिक अंतराल पर कार्मिकों को नामांकित करने की, जिससे कि सुचारू रूप से सभी योग्य कार्मिक शिक्षित हो पायें एवं कार्यालयों पर अतिरिक्त दबाव भी न पड़े। कार्मिकों एवं पदाधिकारियों के सम्मिलित सहयोग एवं दृढ़ इच्छाशक्ति से ही यह कार्य सुलभ हो सकता है।

(4) कार्यालय में सरल हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा:–

प्रायः यह देखा गया है कि प्रशासनिक स्तर पर हिंदी भाषा में कार्य करने वाले बेवजह पांडित्य का प्रदर्शन करने के लोभ में इसे दुरुह बना देते हैं। ध्यातव्य हो कि जो भाषा जितनी ही सरल होगी, उतनी ही ग्राह्य भी होगी। हिंदी की विशिष्टता उसकी सरलता और सहजता में ही तो है। यह एक वैज्ञानिक भाषा है, दूसरी भाषाओं से इतर हम हिंदी में जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते और लिखते हैं। इतनी बोधगम्यता के बावजूद इसके कम प्रचलित होने का एक कारण मानव–निर्मित दुरुहता है। साहित्यिक हिंदी और प्रशासनिक हिंदी का अंतर समझ, जितना हो सके लिखने में सरल हिंदी का प्रयोग करें। हिंदी का सम्यक ज्ञान रखने वाले कदाचित हिंदीतर कार्मिकों की कठिनाई से अनभिज्ञ होते हैं। जिन्हें इस भाषा का अपेक्षित रूप से जरा अल्प ज्ञान है, ऐसे लोगों की दुविधा को ध्यान में रखते हुए पांडित्य प्रदर्शन से बचना चाहिए और भाषा में जहाँ तक हो प्रादेशिक शब्दों का समावेश करना चाहिए। जहाँ आवश्यक हो वहाँ बोलचाल के अंग्रेजी शब्दों का हिंदी लिप्यंतरण भी कर सकते हैं। ट्रेन अंग्रेजी शब्द है परंतु हिंदी में इसके पर्याय लौहपथगामिनी की अपेक्षा आम जनमानस में ज्यादा ग्राह्य है।

अतएव, ऐसे शब्द, जो जनता में ज्यादा ग्राह्य हैं, चाहे वो किसी भी भाषा के हों, निःसंकोच अपना लिये जाने चाहिए। इससे हिंदी की सीमा का संकुचन नहीं अपितु विस्तार ही होगा। गौरतलब हो कि कार्यालयी कार्य करते वक्त हिंदी को अनुवाद की भाषा न समझ उसे, उसके मौलिक रूप में व्यवहार में लायें, अशुद्धियों हो सकती हैं पर उनसे न घबरायें और छोटी छोटी टिप्पणियाँ तथा पत्र/आवेदन लिखने का प्रयास करते रहें। सतत अभ्यास से ही अभीष्ट को प्राप्त किया जा सकता है। कहा भी गया है:

''करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान''

यह भी ध्यान रखें कि छोटे–छोटे कदमों से ही हम बड़े लक्ष्य का संधान कर सकते हैं।

(5) राजभाषा विभाग द्वारा सुझाए गए '12 प्र' का सम्यक निर्वहन :–

कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के सफल कार्यान्वयन के लिये राजभाषा–विभाग ने '12 प्र' की रणनीति–रूपरेखा की संरचना की एवं समस्त कार्यालयों में इसे अग्रसारित भी किया, ये '12 प्र' हैं :–

प्रेरणा,

प्रोत्साहन,

प्रेम,

प्राइज़ अर्थात पुरस्कार,

प्रशिक्षण,

प्रयोग,

प्रचार,

प्रसार,

प्रबंधन,

प्रमोशन (पदोन्नति),

प्रतिबद्धता एवं

प्रयास

यदि कार्यालयों में इस उपरोक्त पत्र में विनिर्दिष्ट अनुदेशों का अनुपालन तत्परता और पूरी निष्ठा के साथ किया जाय तो निश्चित रूप से राजकाज की भाषा के रूप में हिंदी एक बेहतर स्थिति में पहुँच जाएगी।

(6) यांत्रिक संसाधनों के प्रति जागरुकता :–

कार्यालयों में हिंदी की दुरावस्था का एक प्रमुख कारण टाइप राइटर, कंप्यूटर जैसे यांत्रिक संसाधनों में हिंदी की अनुपलब्धता भी है। ध्यातव्य हो कि हिंदी टंकण (टाइपिंग) सीखना अब बहुत ही आसान है, विविध कार्यशालाओं एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत राजभाषा–विभाग द्वारा इसे सिखाया भी जाता है। कंप्यूटर पर यूनिकोड वाला टंकण सीखने से आप अन्य उपलब्ध अधिसूचित भाषाओं का टंकण भी सीख जाते हैं क्योंकि सभी भाषाओं के वर्णों के लिये एक ही कुंजीपटल का उपयोग होता है।

इसके अलावा कंठस्थ जैसे अनुवाद–टूल का सी–डैक पुणे के सौजन्य से विकास हुआ है, जिससे प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावलियों एवं प्रयोजनमूलक एवं विधिक साहित्य, तकनीकी पत्रों तक हर कार्यालयों की संचार माध्यमों द्वारा पहुँच संभव हो रही है। कार्यालयों में कार्यशाला एवं सम्मेलन के दौरान इन संसाधनों के उपयोग का तरीका तथा इनके प्रयोग के लिये कार्मिकों को जागरुक करके भी अंततः, हिंदी का समुचित प्रसार किया जा सकता है।

निष्कर्ष :–

अंततः, उपरोक्त शीर्षकों पर बिन्दुवार विवेचना करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संवैधानिक स्तर पर जहाँ हिंदी को राजभाषा के प्रतिष्ठित पद पर प्रतिस्थापित किया गया, वहीं वैकल्पिक व्यवस्था देकर इसकी साख को क्षीण किया गया तथापि इच्छाशक्ति वह अमोघ अस्त्र है जिसका संधान कर हम अपनी राजभाषा हिंदी को कार्यालयों में उसका वास्तविक स्थान दिला सकते हैं। यदि हिंदी को बढ़ाना है, उसकी यथा स्थिति से इतर उसे और अधिक सुदृढ़ बनाना है, उसका प्रचार–प्रसार करना है तो यह नितांत आवश्यक है कि शासकीय कामकाज और न्यायालयों में हिंदी को महत्व दिया जाय, राजभाषा–सामिति और नराकास जैसी संस्थाओं को और सुदृढ़ किया जाय। कार्यालय में हिंदी के प्रति

प्रोत्साहन एवं पुरस्कारों द्वारा अनुकूल वातावरण का सृजन किया जाय तथा हिंदी शिक्षण योजनाओं तथा यांत्रिक संसाधनों के प्रति सभी को जागरूक किया जाय। यद्यपि केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं केन्द्रीय कार्यान्वयन संस्थान राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार में अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं तथापि जब तक आम जनमानस में, निज भाषा के प्रति गौरव का भाव नहीं पनपेगा, हिंदी की स्थिति दयनीय बनी रहेगी। अतः, भारतवर्ष के सभी कार्यालयों का यह पुनीत कर्तव्य है कि स्वाधीन देश में परतंत्रता की परिचायक भाषा पर अपनी निर्भरता का परित्याग कर निज भाषा में कार्य– सम्पादन का सकल्प लें। यथाः–

''हिंदी भारत देश की, जनता की आवाज
हो इसमें संपन्न अब, शासन के सब काज''

हिन्दी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नही किया।
– डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

••••••••••••••••••••••••••••

राजीव किशोर तिवारी
सहायक निदेशक (राजभाषा)
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ

दोहे

1. पनघट की इस राह में, जल की मत कर चाह,
   जल तो मन के घाट है, मन की पा ले थाह।।

2. सुख–सुविधा की चाह में, हर दम रार ही रार,
   यहीं धरा रह जायेगा, धन का यह भण्डार।।

3. चंद्र मचल मत इस तरह, धरा मिलन को आज,
   हरि चरनन का ध्यान धर, पूरन हों सब काज।।

4. टूट गया जब शाख से, जो पत्ता इक बार,
   जोड़े से फिर न जुड़े, कर लो जतन हजार।।

5. आयेगा फिर लौट कर, सुखद सुहाना छोर,
   अंधकार मिट जायेगा, फिर आयेगी भोर।।

6. अंगड़ाई लेकर उठा, मदमाता जब फाग,
   सखियों के हिय में लगी, विरहा की तब आग।।

7. इस फागुन पर भी नहीं, क्यों आये तुम मीत,
   बिना मीत सोहे नहीं, जग की कोई रीत।।

8. पिया मिलन को जब चली, मुख पर घूंघट डार,
   सखि पाछे कान्हा चले, पीताम्बर की आड़।।

•••••••••••••••••••••••••••

चमको-चमको नन्हें तारों- काव्यानुवाद

Twinkle twinkle little star	चमको चमको नन्हे तारों,
How I wonder what you are !	कितना विस्मय, तुम क्या हो यारों
Up above the world so high	जग से ऊपर तुम हो रहते,
Like a diamond in the sky.	ज्यों हीरा हो, तुम हो चमकते।।
When the burning sun is set,	तपता सूरज जब डूब जाता,
And the grass with due is wet,	और धरा पर शबनम छा जाता,
Then you show your little light,	तब तुम दिखाते थोड़ा प्रकाश,
Twinkle twinkle all the night.	फिर टिमटिमाते सारी रात।।
Then the traveller in the dark,	अंधेरे में चलता पथिक सर्वदा,
Thanks you for your tiny spark	कृतज्ञ है तुम्हारी चमक से सदा,
He could not see which way to go,	नहीं जान पाता किधर को है जाना,
If you did not twinkle so.	अगर न लुटाते तुम अपना खजाना।।
In the dark blue sky you keep,	घने नीले आकाश में हो विचरते,
And often through my curtain peep,	कभी मेरी चिलमन से तुम हो झलकते,
For you never shut your eye,	नहीं सोते कभी भी तुम तब तक,
Till the sun is in the sky.	आ न जाये आफताब आसमां में जब तक।।
It's your bright and tiny spark,	तुम्हारी छोटी, पर बड़ी सी चमक,
Lights the traveller in the dark.	पथिक को दिखाती राह की झलक,
Thou' I know, not, what you are !	नहीं जानता, क्या हो तुम यारों,
Twinkle twinkle little star.	चमको चमको नन्हे तारों।।

हिन्दी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेद–भाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है।

– मदन मोहन मालवीय

शनिदेव कुमार निराला
सहायक अनुभाग अधिकारी
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, लखनऊ न्यायपीठ

हिन्दी भाषा का महत्व

एक समय था जब हिंदी भारत की जान हुआ करती थी,
जन से जन तक संदेश पहुंचाने का जरुरी माध्यम हुआ करती थी,
यही वो भाषा है जिसने हिंद को अब तक जोड़े रखा है,
लोगों के बीच अपनी पैठ और पहुंच को बनाए रखा है,
पर आज अपने अस्तित्व बचाने के लिए जमीन तलाश रही है,
अपनी ही देश में हिंदी बोलने वालों को तलाश रही है।

हिंदी का हाल बुरा नहीं हुआ कभी आक्रांताओं के आक्रमण से,
न हीं फिरंगियों के आघातों से और न ही इसके उपहासों से,
बल्कि चोट पहुंची है इसे अंग्रेजी भाषा के प्रति हमारे पक्षपातों से।

अंग्रेजी भाषा के कई शब्द तो उच्चारण में भी नहीं आते हैं,
फिर भी लोग इसे बोलने से नहीं कतराते हैं,
जबकि हमारी हिंदी की तो बिंदी भी बोलती है,
शब्दों के रहस्यों को हू–ब–हू खोलती है,
फिर भी लोग इसे बोलने में शरमाते हैं,
ना जाने ऐसे विचार लोगों में कहां से आते हैं।

इसलिए जरुरी है कि हमें अपनी भाषा का सही ज्ञान हो,
इसके उपयोग पर हमें सदैव अभिमान हो,
और अगर है कहीं कमी कोई तो लोकसहभागिता से इसका निदान हो।

हमें अब से एक वचन निभाना है,
हिंदी को जन–जन तक पहुंचाना है,
इतनी हिम्मत रखनी है कि किसी के सामने हिंदी बोलने में नहीं शर्माना है,
जब हिंदी अंग्रेजी के सामने सर तान के खड़ी होगी,
तभी अंग्रेजी की खुद–ब–खुद हार होगी,
और हिंदी के सर पर फिर से वही ताज होगी।

••••••••••••••••••••••••••••

चन्दन कुमार
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना न्यायपीठ

बनारसी बाबा

बनारसी बाबा, यह नाम सुनते ही नब्बे–बयानवे वर्ष के एक बुजुर्ग की तस्वीर आँखों के सामने स्पष्ट होने लगती है। सांवला रंग, हल्की–हल्की पीली आँखें, चेहरे पर झुर्रियाँ, छोटे–छोटे सफ़ेद बाल और उम्र को प्रदर्शित करते कप–कपाते हाथ। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका शरीर बिलकुल तंदरुस्त था, कोई खास बीमारी नहीं थी शायद।

बनारसी बाबा के दो बेटे थे, लेकिन दोनों बेटे अपने–अपने परिवार के साथ किसी दूसरे शहर में रहते थे। उनकी पत्नी भी अपने बेटे के साथ ही रहती थीं। शायद यही कारण था कि मैंने अपने बचपन के ज्यादातर दिनों में उनको अकेले ही देखा था। एक कमरे का खपरैल वाला मकान एवं उसके बगल में, फूस की एक झोपड़ी और आँगन में अमरूद का एक पेड़ जिसकी कुछ डालें हमारे पैतृक घर के मुंडेर के साथ लगती थीं। उस समय गाँव के ज़्यादातर घर खपरैल के हुआ करते थे। कहीं–कहीं, एक्का–दुक्का मकान ही पक्के हुआ करते थे।

बनारसी बाबा अपना खाना खुद बनाते थे। उनकी फूसवाली झोपड़ी में, मिट्टी का एक चूल्हा हुआ करता था जिसमें लकड़ी एवं घास–फूस डालकर, बाबा खाना बनाया करते थे। खाना बनाने के दौरान, झोपड़ी से अक्सर, धुआँ उठता रहता था। बचपन के दौर में, बातें उतनी समझ में नहीं आती थीं, लेकिन अब सोचता हूँ तो लगता है कि उम्र के उस पड़ाव पर अकेले रहना कितना मुश्किल होता होगा। उम्र के उस दौर में, जब चलना–फिरना भी मुश्किल हो जाता है, जब इंसान को अपने परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब उनके पास कोई नहीं था। जीवन के उस आखिरी पड़ाव पर, अपने लिए खाना बनाना एवं घर के सभी कार्य खुद करना, कितना पीड़ादायक रहा होगा उनके लिए! रात के अंधेरे में, अकेलापन उनको कितना डराता होगा ! इस सबकी, अब केवल कल्पना ही की जा सकती है।

उस समय मेरी उम्र लगभग 9–10 वर्ष रही होगी शायद। मैं अक्सर देखा करता था कि मेरी माँ एवं आस–पड़ोस की कुछ अन्य महिलाएँ, उनके लिए खाना भेज दिया करतीं थीं, जिसे बाबा सहर्ष स्वीकार कर लिया करते थे। कई बार जब, मैं खाना लेकर जाता था तो उनके चेहरे पर खुशी स्पष्ट देख पाता था।

साल में एक–दो बार, उनकी पत्नी कुछ दिनों के लिए, उनके साथ दिखाई देती थीं। कभी–कभी छोटा बेटा भी दिखाई देता था, पर बड़े बेटे को शायद मैंने कभी नहीं देखा। उनकी पत्नी कुछ दिन उनके साथ रहतीं, उनका ख्याल रखतीं और फिर वापस चली जातीं। बाबा कभी भी उनके साथ रहने नहीं गए। वे उनके साथ क्यों नहीं गये, ये बात, मैं आज तक समझ नहीं पाया।

बाबा की आय का मुख्य साधन, उनका अमरूद का पेड़ था जिसके फल बेहद मीठे एवं स्वादिष्ट

हुआ करते थे। बाबा उन फलों को गाँव में ही बेचकर कुछ पैसे कमा लिया करते थे, जिससे उनके छोटे–मोटे घरेलू खर्चों में मदद हो जाती थी, लेकिन दोपहर को जब बाबा सो जाते थे या फिर दैनिक नित्य क्रिया के लिए बाहर जाते थे, तब मैं और मेरे कुछ दोस्त एवं आस–पास के कुछ बच्चे, चोरी–छुपे उनके पेड़ से अमरूद तोड़ कर भाग जाया करते थे। जब बाबा आकर देखते थे तो उनको पता चल जाता। वे ज़ोर–ज़ोर से चिल्लाते एवं घर के बड़ों से शिकायत भी की जाती थी। कभी–कभी तो डंडे फेंककर भी मारते थे। लेकिन जो भी हो, बनारसी बाबा दिल के बहुत अच्छे थे। ज्यादा तो नहीं, पर कई बार, खाना देने के क्रम में, वो एक–दो अमरूद तोड़कर दे दिया करते थे। संयोग से जब कभी, उनके साथ बैठना हो जाता था, तो वे अंग्रेजों से संबंधित कहानी सुनाया करते थे कि उन्होने अंग्रेजों को अपने गाँव में, एक–दो बार देखा था। इस बात की पुष्टि होती है – हमारे गाँव में, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए एक रेलवे क्वार्टर से, जो आज भी मौजूद है जिसका उपयोग, कुछ वर्ष पहले तक, रेलवे के कर्मचारी किया करते थे। उनके बारे में सोचकर, जगजीत साहब की कुछ पंक्तियाँ सहसा कानों में गूँजने लगती हैं:–

मुहल्ले की वो सबसे पुरानी निशानी,
वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी,
वो नानी की बातों में, परियों का डेरा,
वो चहरे की झुरियों में सदियों का बेड़ा...
भुलाए नहीं, भूल सकता है कोई,
वो छोटी–सी रातें वो लंबी कहानी.... "

मैंने अपने दादा–दादी को कभी नहीं देखा। मेरे जन्म के पूर्व ही उनका देहांत हो गया था। शायद इसलिए, जब भी बनारसी बाबा मुझे स्नेह से अमरूद देते थे, उनमें मुझे अपने दादा नजर आते थे। वर्ष 1998 में उनका देहांत हो गया था। उनके देहांत से, हमारे आस–पास एक खालीपन सा महसूस होता था। आज भी जब उनके बारे में सोचता हूँ तो मन कुछ पल के लिए उदास हो उठता है। ऐसा लगता है शायद वक्त कुछ पल के लिए पीछे चला जाये और मैं उनसे केवल एक बार मिल पाऊँ।

बड़े–बुजुर्ग घर में हो तो घर स्वर्ग जैसा हो जाता है, बच्चे माँ–बाप से ज्यादा दादा–दादी, नाना–नानी के करीब होते हैं। वे बच्चों को न केवल अच्छे संस्कार देते हैं बल्कि अपने आजीवन मीठे–तीखे अनुभव से उन्हें भविष्य में उत्पन्न होने वाली चुनोतियों के लिए तैयार भी करते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि ....

पेड़ बिना फल के सही, आँगन में रहने दो,
फल न सही, छाया दो देंगे...
माँ–बाप गरीब ही सही, घर में रहने दो...
धन–दौलत न सही, बच्चों को संस्कार तो अवश्य देंगे.....

मनीष तिवारी
केयरटेकर
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ

ये उम्र चालीस की बड़ी अजीब होती है!

ये उम्र चालीस की बड़ी अजीब होती है!
ना बीस का जोश,
ना साठ की समझ,
ये हर तरह से गरीब होती है।
ये उम्र चालीस की बड़ी अजीब होती है!

सफेदी बालों से झांकने लगती है,
तेज दौड़े तो सांस हांफने लगती है!
टूटे ख्वाब, अधुरी ख्वाइशें,
सब मुँह तुम्हारा ताकने लगती हैं।
खुशी इस बात की होती है
कि ये उम्र प्रायः सबको नसीब होती है।
ये उम्र चालीस की बड़ी अजीब होती है!

वैसे तो सरकारी नौकरी मे पदोन्नति की राह तो सबके लिए होती है,
जिसको मिल जाए उसे तसल्ली मिलती है!
और जिसे न मिले उसकी बदनसीबी होती है,
पर ये उम्र तुम्हें दायरे में रखती है।
कदर नहीं थी जिसकी जवानी में,
वो चीज अब दिल के बड़े करीब होती है।
ये उम्र चालीस की बड़ी अजीब होती है!

दिन और रात बस ड्यूटी की फिक्र रहती है!
जो हो गया उसकी तारीफ तो नहीं मिलती!
पर जो रह जाए उसकी गलती जरूर मिलती है!
इस बीच में परिवार की जिम्मेदारियां अधूरी रहती हैं!
कोई समझता नहीं मनोदशा किसी की!
बस जिंदगी यूं ही चलती रहती है!
ये उम्र चालीस की बड़ी अजीब होती है!

वैसे, नजरिया बदलो तो
शुरू से, शुरुआत हो सकती है।
आधी तो गुजर गयी,
आधी बेहतर गुजर सकती है।
थोड़ा बालों को काला,
और दिल को हरा कर लो,
अधूरी ख्वाइशों से कोई समझौता कर लो!
जिन्दगी तो चलेगी अपनी रफ्तार से ही,
तुम बस अपनी रफ्तार काबू कर लो।
फिर देखो ये कितनी खुशनसीब होती है,
ये उम्र चालीस की बड़ी अजीब होती है!

•••••••••••••••••••••••••••

रविकांत सिंह
केयरटेकर
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद न्यायपीठ

बढ़ती जनसंख्या

बढ़ती जनसंख्या ने मित्रों,
भूख और गरीबी बढ़ाई है
जिसके कारण बढ़ती,
दिनो–दिन महंगाई है।

बी.टेक.दृएम.टेक.पास भी,
बैठा यहाँ बेकार है
दिन–रात घूमते रहते,
मिलता न कोई काम है।

काम नहीं मिलता लेकिन,
रोज खोजने जाते हैं
जनसंख्या को छोड़कर,
किस्मत को दोषी ठहराते हैं।

हम दो हमारे दो,
नारा बना सरकारी है
इधर देश की जनता कहती,
11वें को बारी है।

कैट के झंडे तले

हे ... कैट के झंडे तले,
मेहनत हमारी पले।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के हम प्रहरी,
हमसे इसकी राह चले।।

शान हमारी जान से बढ़कर,
हमको ये प्यारी लगे।
हे... कैट के झंडे तले,
मेहनत हमारी पले।

श्रीनगर से एर्नाकुलम तक,
19 पीठों में न्याय ही न्याय मिले।।
हे... कैट के झंडे तले,
मेहनत हमारी पले।

कर्मचारी हैं सब इसकी काया,
"रवि" यहाँ सब कार्य की पूजा करें।
हे... कैट के झंडे तले,
मेहनत हमारी पले।

हिन्दी ध्वनिशास्त्र की दृष्टि से अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है।
– रविशंकर शुक्ल

करुणानिधि तिवारी
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, गुवाहाटी न्यायपीठ

भोर का टुकड़ा

ओस की टूटी बूँद से चुनकर,
हरे–हरे पत्तों से बिन कर,
ले आओ तुम भोर का टुकड़ा,
आये जो रोशनदान से छन कर।

ले आओ तुम भोर का टुकड़ा,
मैं बरनी में भर लूँ जिसको,
जीवन में जिसके तम छाया,
थोड़ा सा बस दे दूँ उसको।

मैं दे पाऊँ थोड़ी सी हँसी
बेजान बुझे से अधरों को
हारे – ठुकराए चेहरों को
भूख से आतुर सहरों को

ले आओ वो धूप पिघलती,
जो नीम अँधेरा हरती है।
बन जाती है लौ आशा की,
हारे मन को रोशन करती है।

भारतीय सभ्यता की अविरल धारा प्रमुख रूप से हिन्दी भाषा में ही जीवंत और सुरक्षित रह पाई है।
– अमित शाह (गृह मंत्री)

••••••••••••••••••••••••••••

संकलित – धीरज कुमार
एम.टी.एस.
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ

मेरा गाँव अब उदास रहता है...

लड़के जितने भी थे मेरे गांव में।
जो बैठते थे दोपहर को आम की छांव में।
बड़ी रौनक हुआ करती थी जिनसे घर में
वो सब के सब चले गए शहर में।
ऐसा नहीं कि रहने को मकान नहीं था।
बस यहां रोटी का इंतजाम नहीं था।
हास परिहास का आम तौर पर उपवास रहता है।
मेरा गांव अब उदास रहता है।।

बाबू जी ठंड में सिकुड़े और पसीने मे नहाए थे।
तब जाकर तीन कमरे किसी तरह बनवाए थे।
अब तीनों कमरे खाली हैं मैदान बेजान हैं।
छतें अकेली हैं गलियां वीरान हैं।।
मां का शरीर भी अब घुटनों पर भारी है।
पिता को हार्ट और डाइबिटीज की बीमारी है।
अपने ही घर में मां बाप का वनवास रहता है।
मेरा गांव अब उदास रहता है।।

छत से बतियाते पंखे, दीवारें और जाले हैं।
कुछ मकानों पर तो कई वर्षों से तालें हैं।।
बेटियों को ब्याह दिया गया ससुराल चली गई।
होली का गुलाल, दीवाली की छुरछुरी चली गई।
मोहल्ले मे जाओ जरा झांको कपाट पर।
बैठे मिलेंगे अकेले बाबू जी, किसी कुर्सी किसी खाट पर।।
सावन के झूले उतर गए भादों भी निराश रहता है।
मेरा गांव अब उदास रहता है।।

कबड्डी वालीबाल अंताक्षरी, सब वक्त की तह में दब गए।
हमारे गांव के लड़के कमाने दिल्ली चले गए।।
अब रामलीला दुर्गापूजा की वो बात नहीं रही।
गर्मियों में छतों पर हलचल की रात नहीं रही।।
दालान में बैठे बुजुर्ग भी स्वर्ग सिधार गए।
जो जीत गए थे मुश्किलों से वो बीमारियों से हार गए।।
ये अंधी दौड़ तरक्कियों की गांव सूना कर गई।
खालीपन का घाव अब तो दोगुना कर गई।
जाने वाले चले गए, कहां कोई अनायास रहता है।
मेरा गांव अब उदास रहता है।।

हिन्दी दिवस समारोह – 2023

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधिकारियों के लिए दो दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यशाला।

15 मार्च, 2024 को प्रधानपीठ न्यायपीठ के आधिकारीगण/कर्मचारीगण का दो सत्रों में सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में प्रशिक्षण।

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन पुणे में 14–15 सितम्बर 2023 में अधिकरण की विभिन्न न्यायपीठों के कार्यालय अध्यक्ष एवं अधिकारीगण।

लाल किला

अक्षरधाम

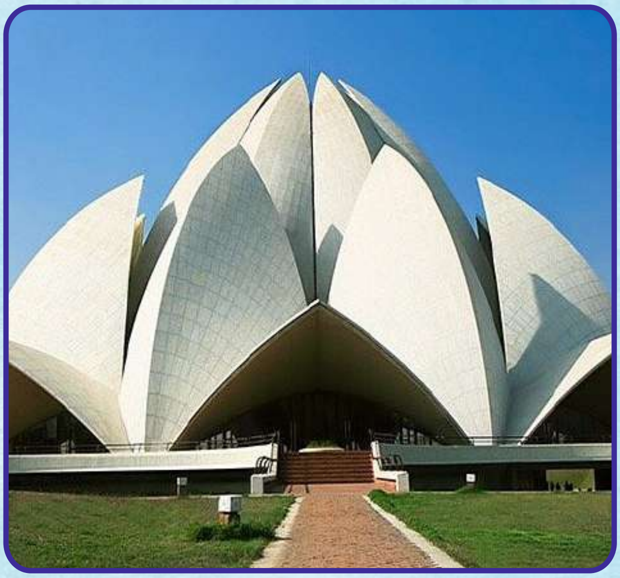

लोटस टेम्पल

जामा मस्जिद

इंडिया गेट

बिरला मंदिर